breakthrough

unicef
unite for children

मॉड्यूल 8

किशोरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल

बाल विवाह, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का समाधान करना

किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट

© यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)
© ब्रेकथ्रू

इस प्रकाशन को शिक्षा या लाभ रहित उद्देश्य हेतु पुनः उत्पादन कॉपीराइट धारक के अनुमति के बिना किया जा सकता है यदि इसके स्रोत को मान दें।

इंगित संसकरण:
“किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट” 2016, नई दिल्ली : यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू
यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू को ऐसे प्रतिलिपि को पाकर खुशी होगी जो इस प्रकाशन को स्रोत के तौर पर इस्तेमाल कर रहें हों।

यदि इस प्रकाशन को किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो लिखित में अनुमति की जरूरत पड़ेगी।

अनुमति एवं अन्य सवालों के लिए संपर्क करें:
newdelhi@unicef.org

सामनेवाले कवर का फोटो
© Breakthrough/India

मॉड्यूल 8

किशोरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल

बाल विवाह, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का समाधान करने के बारे में किशोरों को संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित करने में सामुदायिक कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों के लिए स्त्रोत पुस्तिका।

विषय सूची

युनिसेफ पृष्ठ 5

ब्रेकथ्रू पृष्ठ 6

सामाजिक लिंग आधारित हिंसा का समाधान करने के बारे में किशोरवय के साथ कार्य करना पृष्ठ 8

यह प्रशिक्षण मॉड्यूल किशोरों के लिए क्यों तैयार किया गया है? पृष्ठ 8

किशोरों के लिए मॉड्यूल तैयार करते समय किन कारकों पर विचार किया गया? पृष्ठ 9

किशोरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल में पहचान की गयी मुख्य क्षमता संवर्धन की ज़रूरतें क्या हैं? पृष्ठ 9

किशोरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की अवधि और प्रस्तुत करने का तरीका क्या है? पृष्ठ 10

किशोरों के लिए इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत किस तरह से सत्र आयोजित किए जा सकते हैं? पृष्ठ 10

किशोरों के लिए क्षमता संवर्धन मॉड्यूल के तहत सत्र योजना

पृष्ठ 11

मॉड्यूल I: सामाजिक लिंग और लैंगिक भेदभाव को समझना पृष्ठ 12

सत्र 1 - लैंगिक रूढ़िबद्धता पृष्ठ 13

सत्र 2 - हमारे जीवन पर सामाजिक लिंग और लिंग के प्रभाव को समझना पृष्ठ 15

सत्र 3 - हिंसा और अधिकार पृष्ठ 17

मॉड्यूल II: विवाह और संबंध का अर्थ समझना पृष्ठ 19

सत्र 4 - बाल विवाह- मानव अधिकारों का उल्लंघन पृष्ठ 20

सत्र 5 - स्वस्थ विवाह में सहभागियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पुन: परिभाषित करना पृष्ठ 25

मॉड्यूल III: सामाजिक लिंग आधारित हिंसा समाप्त करना पृष्ठ 28

सत्र 6 - लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को समाप्त करना पृष्ठ 29

सत्र 7 - लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना पृष्ठ 32

सत्र 8 - लैंगिक हिंसा से स्वयं की रक्षा करना पृष्ठ 35

मॉड्यूल IV: बालिकाओं को अहमियत देना पृष्ठ 41

सत्र 9 - सामुदायिक सदस्यों के रूप में महिलाओं का योगदान पृष्ठ 42

सत्र 10 - महिलाओं की घटती संख्या और इसका प्रभाव पृष्ठ 44

संलग्नक पृष्ठ 46

संलग्नक 1 - मानव अधिकार क्या हैं? पृष्ठ 47

संलग्नक 2 - बाल विवाह में मानव अधिकारों का उल्लंघन पृष्ठ 48

संलग्नक 3 - घरेलू हिंसा से निपटना पृष्ठ 50

संलग्नक 4 - लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना पृष्ठ 52

संलग्नक 5 - छोटे बच्चों में यौन दुर्व्यवहार (माता-पिता और समुदाय के नेताओं के लिए) पृष्ठ 55

संलग्नक 6 - समाज में महिलाओं का योगदान पृष्ठ 57

संलग्नक 7 - महिलाओं की घटती संख्या और बाल विवाह पर इसका प्रभाव पृष्ठ 59

संलग्नक 8 - सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण पृष्ठ 60

संलग्नक 9 - पुरुषों और लड़कों के साथ काम करने के बारे में आगे और अध्यन करना पृष्ठ 61

टिप्पणी पृष्ठ 62

यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)

190 देशों और क्षेत्रों में बच्चों को बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनके जीवन का बचाव और उसके पनपने के लिए कार्य करती है। विकासशील देशों को दुनिया के सबसे बड़े टीका प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण, अच्छा जल एवं सौच सुविधा, सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण बुनियादि शिक्षा तथा हिंसा, शोषण और एड्स से रक्षा करती है। यूनिसेफ पूर्णतया व्यक्तियों, व्यापार संस्थानों और सरकारों द्वारा स्वेच्छा से दिये गए वित्तिय योगदान से पोषित है।

www.unicef.in

/unicefindia
@UNICEFIndia

United Nations Children's Fund, 73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 🖷 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

ब्रेकथ्रू एक मानवाधिकार संस्था है

जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है। कला, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हर कोई सम्मान, समानता और न्याय के साथ रह सके।

हम मल्टीमीडिया अभियानों के माध्यम से इन मुद्दों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। इसे देश भर के समुदाय और व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक बना रहे हैं। इसके साथ ही हम युवाओं, सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक समूहों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे एक नई ब्रेकथ्रू जनरेशन सामने आए जो अपने आस-पास की दुनिया में बदलाव ला सके।

www.inbreakthrough.tv

/BreakthroughIN
@INBreakthrough

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 🖷 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

© UNICEF/India /Singh

सामाजिक लिंग आधारित हिंसा का समाधान करने के बारे में किशोरवय के साथ कार्य करना

किशोरों के लिए क्षमता संवर्धन मॉड्यूल का उपयोग करना

यह प्रशिक्षण मॉड्यूल किशोरों के लिए क्यों तैयार किया गया है?

हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में किशोर निश्चित सामाजिक 'मानदंडों' का पालन करने के लिए अनुकूलित होते हैं जो उनके खुद के जीवन और अनेक किशोरियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन 'मानदंडों' का परिणाम प्राय: यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, किशोरवय गर्भावस्था और घरेलू हिंसा सहित लैंगिक भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। इनसे परोक्ष रूप से, लड़कियों के साथ-साथ किशोर भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं हालांकि उनका दृष्टिकोण काफी हद तक समाज द्वारा प्रचारित पुरुषत्व और 'मानदंडों' की आड़ में नजरअंदाज या छिपा दिया जाता है। जब युवा बेटों को कार्य हेतु पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो कम उम्र में विवाहित पतियों और प्राय: युवा पिताओं के रूप में वे परिस्थितियों से निपटने के लिए खुद को अपर्याप्त रूप से तैयार पाते हैं और इसलिए निश्चित सदियों पुराने निर्धारित 'मानदंडों' और व्यवहारों का पालन करते हैं।

प्रशिक्षण मॉड्यूल 14 से 20 वर्ष आयु वर्ग वाले किशोरों की क्षमताओं का पांच क्षेत्रों में निर्माण करने के लिए तैयार किया गया है:

- सामाजिक लिंग और यौन के बीच अंतर समझना।
- सामाजिक लिंग और यौन के बारे में स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करना और लैंगिक भेदभाव से लड़ना।
- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के विभिन्न रूपों और इसके प्रभाव तथा उल्लंघन किए अधिकारों की पहचान करना।
- बाल विवाह में अपने अधिकारों के उल्लंघन और इसके परिणामों पर जागरूकता बढ़ाना।
- समान विवाहित सहभागियों के रूप में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पुन: परिभाषित करना
- लैंगिक, भावनात्मक एवं शारीरिक किसी भी रूप में हिंसा करना उनके लिए अस्वीकार्य हो जाती है जो इससे घृणा करते हैं या इसके साक्षी होते हैं।
- समाज के महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में लड़कियों को अहमित देना और लैंगिक-पक्षतापूर्ण लिंग चयन से लड़ना।

यह प्रशिक्षण मॉड्यूल सामाजिक लिंग आधारित हिंसा का समाधान करने के बारे में किशोरवय के सशक्तिकरण से संबंधित बड़े टूलबॉक्स का एक हिस्सा है।

किशोरों के लिए मॉड्यूल तैयार करते समय किन कारकों पर विचार किया गया?

ब्रेकथ्रू और यूनिसेफ द्वारा प्रमाणित रचनात्मक अनुसंधान अध्ययनों का मुद्दों और किशोरों की क्षमता संवर्धन आवश्यकताओं को स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से उल्लेख किया गया है। इन रिपोर्टों का संकलन यूनिसेफ और ब्रेकथ्रू के विषय विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श द्वारा प्रमाणित किया गया है।

मॉड्यूल तैयार करते समय किशोरों से संबंधित निम्नलिखित मुख्य मुद्दों और क्षमता संवर्धन की ज़रूरतों पर ध्यायनपूर्वक विचार किया गया:

- 14-20 वर्ष के बीच की आयु वाले किशोर स्वकयं को एक पुरुष के रूप में साबित करने के लिए दबाव का सामना करते हैं। इस दबाव के कारण युवा किशोर प्राय: उच्च जोखिम और महिलाओं एवं लड़कियों तथा सामाजिक पदानुक्रम में कमजोर माने जाने वाले लोगों और समुदायों के विरूद्ध हिंसक व्यवहार में लिप्त् हो जाते हैं।
- हमारा हस्तक्षेप उन लड़कों पर केंद्रित है जो प्राय: ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं जहां यौन शोषण और उत्पीड़न के साथ संयोजित घरेलू हिंसा असामान्य बात नहीं है। इस कारण ऐसे मुद्दों के लिए उनका दृष्टिकोण अप्रभावी रहता है।
- वे काफी हद तक ग्रामीण एवं उपनगरीय समुदायों से संबंधित होते हैं लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहते।
- विशेष रूप से लड़कियाँ. वे सीमित शैक्षिक सुविधाओं और आजीविका के अवसरों वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं ।
- सामाजिक लिंग और लिंग पर उनके दृष्टिकोण प्राय: पक्षतापूर्ण होते हैं जो लड़कियों/महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक भेदभाव के रहस्यगपूर्ण या प्रत्यक्ष रूपों का कारण बनता है।
- वे बाल विवाह, दहेज और बच्चों में लैंगिक पक्षतापूर्ण लिंग चयन की सदियों पुरानी रीति-रिवाजों के अधीन होते हैं।
- उनसे बेटे/दूल्हे/पति/पिता के रूप में पुरुषों की ओर से पुरानी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की उम्मीद की जाती है।

किशोरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल में पहचान की गयी मुख्य क्षमता संवर्धन की ज़रूरतें क्या हैं?

इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत उच्चं जोखिम वाले किशोरों के लिए मुख्य क्षमता संवर्धन की ज़रूरतें निम्नानुसार सामने आती हैं:

1. सामाजिक लिंग एवं लैंगिक भेदभाव का विश्लेकषण करना
2. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के विभिन्न रूपों और इसके प्रभाव तथा उल्लंघन किए गए अधिकारों की पहचान करना
3. मानव-अधिकारों के उल्लंघन के रूप में बाल विवाह की पहचान करना
4. स्वस्थ विवाह में सहभागियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पुन: परिभाषित करना
5. सामाजिक लिंग आधारित हिंसा को समाप्तग करना
6. बालिकाओं को अहमियत देना

क्षमता संवर्धन की ज़रूरतों को निम्नामनुसार कार्यक्षेत्रों और अनुक्रमों में बांटा गया है:

सत्र	क्षमता संवर्धन की ज़रूरतों पर आधारित प्रशिक्षण विषय वस्तु	समयावधि
मॉड्यूल 1:	**सामाजिक लिंग एवं लैंगिक भेदभाव को समझना**	**2.5 घंटे**
सत्र 1	लैंगिक रूढ़िबद्धता	30 मिनट
सत्र 2	हमारे जीवन पर सामाजिक लिंग और लिंग के प्रभाव को समझना	30 मिनट
सत्र 3	हिंसा और अधिकार	90 मिनट
मॉड्यूल 2:	**विवाह और संबंध का अर्थ समझना**	**2.25 घंटे**
सत्र 4	बाल विवाह - मानव अधिकारों को उल्लंघन	90
सत्र 5	स्वस्थ विवाह में सहभागियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पुन: परिभाषित करना	45
मॉड्यूल 3:	**सामाजिक लिंग आधारित हिंसा समाप्त करना**	**2.75 घंटे**
सत्र 6	लड़कियों और महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा समाप्त करना	60
सत्र 7	यौन उत्पीड़न समाप्त करना	45
सत्र 8	लैंगिक हिंसा से खुद की रक्षा करना	60
मॉड्यूल 4 :	**बालिकाओं को अहमियत देना**	**2 घंटे**
सत्र 9	सामुदायिक सदस्यों के रूप में महिलाओं का योगदान	60
सत्र 10	महिलाओं की घटती संख्या और इसका प्रभाव	60
	कुल समयावधि	9.5 घंटे

किशोरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की अवधि और प्रस्तुत करने का तरीका क्या है?

क्षमता संवर्धन मॉड्यूल को पूरे 10 सत्रों की कुल ~10 घंटों की अवधि के लिए तैयार किया गया है। प्रशिक्षण अनौपचारिक कक्षों की व्यवस्था करके, मुख्यत: 20-25 लड़कों के छोटे छोटे शिक्षार्थी समूहों में अनुदेशक द्वारा दिया जाएगा। सत्र की रूपरेखा तैयार करने में प्रतिभागी प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया गया है। इसमें केस अध्ययनों का उपयोग, सामूहिक चर्चा और विचार विमर्श, सामूहिक प्रस्तुति और रोल प्ले आदि शामिल है।

इन सत्रों के लिए अनुदेशकों को उन स्थानीय एनजीओ सहभागियों से आए हुए प्रशिक्षकों के समूह के रूप में माना गया है जो क्षेत्रीय किशोरवय के मुद्दों से परिचित हैं और बाल विवाह एवं लैंगिक हिंसा के विरूद्ध हस्त क्षेपों को लागू करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

किशोरों के लिए इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत किस तरह से सत्र आयोजित किए जा सकते हैं?

इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत सत्र आयोजित करने के लिए इन सरल चरणों का पालन किया जा सकता है:

- सत्र योजनाओं को देखें और आयोजित किया जाने वाला सत्र चुनें।
- सत्र योजना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सत्र आयोजित करने के लिए जरूरी सामग्री और आवश्यिक तैयारी के बारे में सावधानी से नोट बनाएं। इसमें आमतौर पर शिक्षार्थी हैंड आउट (संलग्नक में दिए गए) की फोटो कॉपी तैयार करना, अनुदेशक के नोट्स समझना या स्थानीय जानकारी से इसे अपडेट करना और समूह गतिविधियों के लिए कोई अन्य सामग्री एकत्र करना शामिल होगा।
- फिर, उद्देश्यों , कार्यपद्धियों/चरणों, मुख्य चर्चा बिंदुओं और अनुदेशक के नोट्स पढ़ें और सुनिश्चित करें कि उन्हें भली भांति समझ लिया गया है। याद रखें कि यह मॉड्यूल सिर्फ एक दिशानिर्देश है और उपलब्धि समय, शिक्षार्थी प्रोफाइल और बदलती प्रशिक्षण विषय वस्तुओं के आधार पर तत्काल प्रस्तुत किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण चरणों वाला एक छोटा नोट तैयार कीजिये जो सत्र आयोजित करते समय चर्चा बिन्दु/संकेत प्रदान कर सके।
- किशोरों के समूहों के साथ सत्र आयोजित करने के लिए शिक्षार्थी हैंड आउट, समूह गतिविधि सामग्री और छोटा प्रशिक्षण नोट ले जाएं।

© Breakthrough/India

किशोरों के लिए क्षमता संवर्धन मॉड्यूल के तहत सत्र योजना

© Breakthrough/India

मॉड्यूल I : सामाजिक लिंग और लैंगिक भेदभाव को समझना

सत्र

1

30 मिनट

लैंगिक रूढ़िबद्धता

आवश्यक सामग्री

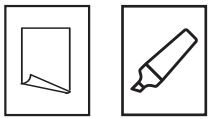

चार्ट पेपर

मार्कर पेन

उद्देश्य :

- क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में किशोरों का अभिवादन करना और परिचय देना
- उन भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का पता लगाना जिनकी समाज आमतौर पर पुरुषों के रूप में लड़कों से और महिलाओं के रूप में लड़कियों से उम्मीद करता है
- सहभागियों की यह समझने में मदद करना कि सामाजिक 'मानदंड' और अपेक्षाएं लैंगिक रूढ़िबद्धता को किस प्रकार बढ़ावा देती हैं
- मॉड्यूल के तहत निम्नहलिखित सत्रों के लिए विषय वस्तुज निर्धारित करना

सशक्तिकरण केंद्रक : मनोवैज्ञानिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; सामाजिक-सांस्कृतिक

1 क्रियाविधि :

- सहभागियों का अभिवादन करें और स्व्यं का परिचय दें।
- उनसे कोई भी संख्या जैसे 2, 14, 20, 500 आदि को जोर से बोलने और उसके अनुसार आरोही क्रम के बैठने के लिए कहें। उन लड़कों से जो पहले छोटी संख्याएं बोलते हैं, शुरूआत करते हुए बाद में बड़ी संख्याएं बोलने वाले लड़कों के साथ समाप्त करें ।
- अब, जोड़े बनाएं और निम्नलिखित जानकारी के आधार पर उनसे एक दूसरे को परिचय देने के लिए कहें:
  - आपका नाम, शिक्षा, निवास स्थान
  - आप अपने परिवार में लड़कों, पुरुषों के बारे में कौन से दो गुण पसंद करते हैं?
  - आप अपने परिवार में लड़कियों, महिलाओं के बारे में कौन से दो

गुण पसंद करते हैं? (एक दूसरे के साथ चर्चा करने के लिए उन्हें 3-4 मिनट का समय दें)

- सहभागियों को एक एक करके आगे आने और अपने सहभागियों को परिचय देने के लिए आमंत्रित करें।
- चार्ट पेपर पर निम्नलिखित प्रारूप में गुणों को लिखते रहें:

लड़कों और पुरुषों में पसंद गुण (उदाहरण)	लड़कियों और महिलाओं में पसंद गुण (उदाहरण)
कठोर परिश्रम	ध्यान रखना
बहादुरी इत्यादि	अच्छा भोजन बनाना आदि

- परिचय के लिए सभी सहभागियों को धन्यवाद दें और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें।

2 चर्चा के प्रश्न :

- क्या आप यहां कोई पैटर्न देखते हैं?
- अपको यह क्यों लगता है कि हम इन विशिष्ट गुणों वाली लड़कियों और लड़कों के बारे में योजना बनाते हैं?
- क्याो आपको लगता है कि हम सभी में उपरोक्त सभी गुण हो सकते हैं?
- इन रूढ़िबद्धताओं के कारण एक लड़का या एक पुरुष किन दबावों का सामना करता है?
- इन रूढ़िबद्धताओं के कारण एक लड़की या एक महिला किन दबावों का सामना करती है?
- लड़कों/पुरुषों और लड़कियों/महिलाओं पर इस रूढ़िबद्धता का क्या प्रभाव हो सकता है?

3 अनुदेशक के नोट्स :

समाज हमसे महिलाओं या पुरुषों के रूप में एक निर्धारित तरीके से व्यवहार करने की उम्मीद करता है। विपरीत लिंग या अपने स्वयं के लिंग के साथ बातचीत करते समय हम अपने लिए सीमाएं निर्धारित करते हैं। हमारी परवरिश और समाजीकरण हमें सामाजिक 'मानदंडों' के अनुरूप बने रहना सिखाते हैं जो लैंगिक रूढ़ियों का कारण बनते हैं और किशोरियो द्वारा अपने जीवन में सामना किए जाने वाले अनेक मुद्दों को बढ़ावा देते हैं। यह प्रशिक्षण मॉड्यूल महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों में से कुछ जैसे बाल विवाह, घरेलू हिंसा और यौन शोषण के साथ-साथ अन्य समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है।

हालांकि, मनुष्य के रूप में हमें पता होना चाहिए कि हम आवश्यकता अनुसार सभी गुणों को धारण और इनका प्रदर्शन करने में सक्षम हैं।

सत्र

2

30 मिनट

हमारे जीवन पर सामाजिक लिंग और लिंग के प्रभाव को समझना

आवश्यक सामग्री

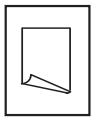

चार्ट पेपर

मार्कर पेन

उद्देश्य :

- लिंग और सामाजिक लिंग के बीच अंतर की पहचान करना
- सदियों पुराने सामाजिक अनुकूलन से उत्पपत्रा लैंगिक पक्षपातपूर्ण नजरिए की पहचान और उसका सामना करना

सशक्तिकरण केंद्रक : मनोवैज्ञानिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; सामाजिक-सांस्कृतिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र 1 के लैंगिक रूढ़िबद्धता अभ्याास को याद करें जहां समूहों ने महिलाओं और पुरुषों में कुछ सामान्य स्वीकार्य गुणों की पहचान की थी। इसमें यह भी चर्चा की गयी थी कि हम सभी जीवन द्वारा प्रदान की गयी स्थिति के आधार पर सभी गुणों को धारण करने में सक्षम हैं।
- सामाजिक लिंग और लिंग को समझना के रूप में सत्र के विषय को जोर से बोलें जहां हम महिलाओं और पुरुषों द्वारा प्रदर्शित नजरिए और व्यवहार में निश्चिवत 'मानदंडों' को चुनौती देने का प्रयास करेंगे। इससे समाज में लड़कियों/महिलाओं को प्रदान किए गए सीमित अधिकारों और सुविधाओं के पीछे के कारणों को समझने में भी मदद मिलेगी।
- सहभागियों के लिए निम्नए तालिका बनाएं और उसकी व्याख्या करें:

लिंग	सामाजिक लिंग
जैविक है	सामाजिक रूप से निर्मित है
आप इसके साथ जन्मे लेते हैं	यह सीखा जाता है
परिवर्तित नहीं किया जा सकता (शल्य चिकित्सा हस्तरक्षेप के बिना)	यह परिवर्तित किया जा सकता है।

- अब निम्नकलिखित कथन पढ़ें और सहभागियों से यह पहचान करने के लिए कहें कि कथन 'लिंग' पर आधारित है या 'सामाजिक लिंग' पर। सहभागी बेतरतीब ढंग से (बिना सोचे समझे) उत्तर दे सकते हैं लेकिन लिंग और लिंग चार्ट तालिका से उचित कारणों के साथ उन्हें अपने उत्तरों का समर्थन करने की भी जरूरत है। साथ ही अंत में, कृपया नीचे कोष्ठक के भीतर उल्लेख किए गए रूप में सही उत्तर प्रदान करें।

सामाजिक लिंग/लिंग कथन:

- महिलाएं बच्चों को जन्मत देती हैं, पुरुष नहीं। (लिंग)
- छोटी लड़कियां कोमल होती हैं, लड़के सख्त होते हैं। (सामाजिक लिंग)
- भारतीय खेत मजदूरों के बीच, महिलाओं को समान कार्य उत्पाद के लिए पुरुषों की मजदूरी का 40-60 प्रतिशत भाग भुगतान किया जाता है। (सामाजिक लिंग)
- महिलाएं शिशुओं को स्तनपान करा सकती हैं, पुरुष शिशुओं को बोतल से दूध पिला सकते हैं। (लिंग, सामाजिक लिंग)
- महिला कार्य कर रही हो तब भी उसे घर का ध्यान रखना चाहिए। (सामाजिक लिंग)
- भारत में व्यवसाय करने वाले लोग ज्यादातर पुरुष हैं। (सामाजिक लिंग)
- मेघालय में, महिलाएं उत्तराधिकारी हैं और पुरुष नहीं। (सामाजिक लिंग)
- यौवनारंभ पर पुरुषों की आवाज फट जाती है, महिलाओं की नहीं। (लिंग)
- 224 संस्कृतियों के एक अध्ययन में, 5 संस्कृंतियां ऐसी थी जिसमें पुरुषों ने सभी तरह का भोजन बनाया, और 36 संस्कृतियां ऐसी थी जिसमें महिलाओं ने समस्त गृह निर्माण कार्य किया। (सामाजिक लिंग)
- भूमिगत खनन जैसी खतरनाक नौकरियों में महिलाओं का कार्य करना वर्जित है। (सामाजिक लिंग)
- यूएन के आंकड़ों के अनुसार, महिलाएं दुनिया भर के काम का 67 प्रतिशत काम करती हैं, फिर भी उनकी आमदनी दुनिया की आय का केवल 10 प्रतिशत भाग है। (सामाजिक लिंग)

2 चर्चा के प्रश्न :

- यदि गैर जैविक गुण सभी सामाजिक लिंगों में समान हो सकते हैं तो भेदभाव क्यों होता है?
- हमारे सामाजिक लिंग किस तरह से हमारे अधिकारों की संतुष्टि को प्रभावित करते हैं? क्या यह किसी के अधिकारों के उल्लंघन के लिए और कमज़ोर बना सकता है? (अनुदेशक महिलाओं और पुरुषों के बीच भूमिकाओं में अंतर तथा गतिशीलता, शैक्षिक अवसर, राजनीतिक अधिकार पर प्रतिबंधों, परिवार के सदस्यों की देखभाल और पोषण के लिए जिम्मेदारियों में अंतर पर विचार कर सकते हैं)।

3 अनुदेशक के नोट्स :

'प्रकृति और हमारा जीवविज्ञान' लोगों में पाए जाने वाले स्त्री लिंग और पुल्लिंग लक्षण निर्धारित नहीं करता। यह केवल इस बात का निर्धारण करता है कि आप नर या मादा के रूप में पैदा हुए हैं। लिंग और सामाजिक लिंग के बीच का अंतर हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह हमारे घरों, समुदायों और समाज में मौजूद भेदभाव तथा सत्ता-व्यवहार के जटिल रूपों से अवगत होने में उपयोगी है। निर्धारित भूमिकाएं निभाने या आपसे कुछ अपेक्षाएं रखने के कारण आपका सामाजिक लिंग आपको मिलने वाले अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, उस संस्कृति में जहां परिवार में महिलाओं से पुरुषों के निर्णयों पर प्रश्नक न उठाने की उम्मीद की जाती है, वहां उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है और उनका योगदान केवल घरेलू कार्यों तक सीमित किया जा सकता है। इससे परिवार में अर्जित की जाने वाली संभावित आय सीधे कम हो सकती है जिससे अगली पीढ़ी के लिए जीवन की गुणवत्ता और भावी शिक्षा/आजीविका की संभावनाएं कम हो जाती हैं।

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सामाजिक मानदंडों, धार्मिक प्रतिबंधों, पारिवारिक संस्कृति और कानूनी तौर पर अनुमोदित अधिकारों द्वारा कई वर्षों में सामाजिक तौर पर बनायी गयी हैं। वास्तव में, सभी कार्य सभी लोगों - महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किए जा सकते हैं, बशर्ते कि दोनों लोगों को मुक्त गतिशीलता द्वारा समर्थित समान संसाधन और निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गयी हों। हालांकि, समाज हमारे लिए कृत्रिम अवरोध भी उत्पन्न करता है। एक लकड़ी के बारे में सैदव यह माना जाता है कि यह परिवार से दूर चली जाएगी और इसलिए परिवार की आय में योगदान नहीं करेगी। लड़के की शिक्षा को परिवार की भावी जरूरतों के लिए निवेश के रूप में देखा जाता है।

सत्र

3

90 मिनट

हिंसा और अधिकार

आवश्यक सामग्री

व्हाइट बोर्ड

मार्कर पेन

उद्देश्य :

- हिंसा के रूपों और इससे प्रभावित होने वाले लोगों की पहचान करना और सूची बनाना
- महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा के प्रभाव का विश्लेषण करना
- हिंसा के कारण जिन अधिकारों का उल्लंघन हुआ उनकी पहचान करना और सूची बनाना

सशक्तिकरण केंद्रक : मनोवैज्ञानिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; सामाजिक-सांस्कृंतिक

1 क्रियाविधि :

- घर पर और बाहर जैसे सड़कों, बाजार, कार्यस्थलों आदि पर महिलाएं जिन विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और हिंसा का सामना करती हैं उन के बारे में सहभागियों से सवाल करें।
- सहभागियों को 4 या 5 सदस्यों वाले समूहों में विभाजित करें।
- सहभागियों से अपने समूहों में महिलाओं या लड़कियों के विरूद्ध होने वाली हिंसा के एक रूप की पहचान और चर्चा करने के लिए कहें।
- उन्हें समूह के सभी सदस्यों और सामग्री की सहायता से हिंसा के इस रूप

का एक चित्र बनाना है, ये सदस्य चित्र का कोई भी पात्र हो सकते हैं लेकिन इसमें संवाद नहीं होंगे।

- समूहों को अपने-अपने चित्र को बड़े समूह के सामने प्रस्तुत करना है- इस समय चर्चा न करें केवल दर्शकों से यह पहचान करने के लिए कहें कि दृश्य में क्या हो रहा है, प्रस्तुतकर्ताओं के साथ देखें कि क्या दर्शक ने उनके चित्र को सही तरह से समझ लिया है और इसके बाद अगले समूह से प्रस्तुत करने के लिए कहें।

हिंसा का कृत्य क्या था	हिंसा का रूप क्या था	हिंसा का किसने सामना किया
समूहों द्वारा प्रस्तुत किए गए हिंसा के विशिष्ट कृत्य् होंगे उदाहरण बस, बाजार में यौन उत्पीड़न, घर पर घरेलू हिंसा/ शिक्षा की उपलब्धता में लैंगिक भेदभाव	ये शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, लैंगिक आदि होंगे	ये महिला, बच्चे, उनके माता-पिता आदि होंगे
हिंसा करने वाला कौन था	**हिंसा का सामना करने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा**	**इस व्यक्ति के किन अधिकारों का उल्लंघन किया गया है**
यहां कई उत्तर हो सकते हैं जैसे सास-ससुर, पति, पड़ोसी, माता-पिता, अपरिचित व्यिक्ति आदि	इसका उत्तर होगा जैसे उसकी गतिशीलता, सलामती और सुरक्षा पर प्रभाव, कम आत्मसम्मान आदि	इस कॉलम में कई अधिकार होंगे- स्वतंत्रता, समानता का अधिकार आदि जिनकी सहभागी पहचान करते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो अनुदेशक उन अधिकारों की जांच करेगा जो शायद छूट गए हों।

- नीचे दर्शाए गए तरीके से व्हाइट बोर्ड पर तालिका बनाएं, और प्रत्येक कॉलम को पहली पंक्ति में दर्शाए गए तरीके से चिन्हित करें। उसके बाद, उनके द्वारा देखे गये प्रत्येक चित्र के लिए कॉलमों के आधार पर सहभागियों से सवाल करें। जहां तक संभव हो विस्तारपूर्वक चर्चा करें और फिर अगले चित्र पर जाएं और आगे वह बताएं जो छूट गया हो।
- तालिका की विषय-वस्तुओं का सार प्रस्तुत करते हुए तथा यह उल्लेख करते हुए कि ज्यादातर मामलों में महिलाएं किस तरह से प्रभावित हुईं, ज्यादातर हिंसा उन लोगों द्वारा की गयी जो महिला के परिचित हैं या जो उनके सबसे करीब हैं और उन पर इसका किस हद तक असर पड़ा, सत्र समाप्त करें।

2 चर्चा के प्रश्न :

- यह तालिका आपको क्या बताती है?
- इन सभी मामलों में प्रभावित व्यक्ति कौन है?
- अधिकांश मामलों में उल्लंघन करने वाले कौन हैं? क्या वे हैं जो किसी प्रभावित व्यक्ति को जानते हैं?
- प्रभावित व्यक्ति पर किस तरह से प्रभाव पड़े ?
- इन सभी घटनाओं में सामान्यत कारक क्या हैं?

3 अनुदेशक के नोट्स :

हिंसा के ज्यादातर मामलों में, प्रभावित व्यक्ति महिला/लड़की, उसके परिवार के सदस्य और उसके बच्चे हैं। ये लोग पूरी तरह से असुरक्षित हैं क्योंकि समाज में निचला स्थान होने के कारण उन्हें 'कमजोर' के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, घटनाओं के अधिकांश मामलों में, उल्लंघन करने वाला/ अपराधी वह होता है जो महिला को जानता है या उससे संबंधित है। उसका खुद का घर या निवास उसके लिए असुरक्षित बन जाता है, और अन्य जगहों पर सलामती एवं सुरक्षा पाने के उसके अवसर और सम्भावनाएं कम हो जाती हैं। इससे अरक्षित संभावना बढ़ जाती है और आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह गरिमा, सुरक्षा और हिंसा से स्वतंत्रता का जीवन जी सकती है, आवश्यक सेवाओं और देखभाल तक उसकी पहुंच घट जाती है।

© Breakthrough/India

मॉड्यूल II : विवाह और संबंध का अर्थ समझना

सत्र

4

90 मिनट

बाल विवाह- मानव अधिकारों का उल्लंघन

आवश्यक सामग्री

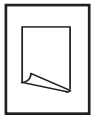

फ्लिप चार्ट पेपर

मार्कर पेन

संलग्नक- संलग्नक 1: मानव-अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की प्रतियां

संलग्नक- संलग्नक 2 बाल विवाह में मानव अधिकारों का उल्लंघन की प्रति से निकाले गए कागज की पर्ची के चार टुकड़े

उद्देश्य :

- मानव-अधिकारों और बाल अधिकारों के महत्व की पहचान करना।
- भेदभाव के खिलाफ महिलाओं के अधिकारों के महत्व की पहचान करना।
- ये पता लगाना कि बाल विवाह के माध्यम से मानव-अधिकारों का उल्लंघन कैसे होता है
- "बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006" (पीसीएमए) के तहत प्रावधानों की सूची बनाना

सशक्तिकरण केंद्र : मनोवैज्ञानिक; पारिवारिक/ अंतर्वैयक्तिक; सामाजिक-सांस्कृतिक;

1 क्रियाविधि :

- सत्र शीर्षक के साथ उद्देश्यों की घोषणा करें।
- संलग्नक- संलग्नक 1: मानव-अधिकारों की विश्ववव्यापी घोषणा की प्रतियां वितरित करें और सहभागियों से इसे ध्याानपूर्वक पढ़ने के लिए कहें । संलग्नक की प्रति की सहायता से, खासतौर पर इन मानव अधिकारों के अर्थ की चर्चा करें:

  i) जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार

  ii) यातना से मुक्ति

  iii) निष्पक्ष सुनवाई

iv) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

v) धर्म की स्वतंत्रता

vi) स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-यापन के समुचित स्तर

- इसके बाद, अनुदेशक के नोट्स की सहायता से मानव अधिकारों को बनाए रखने में भेदभाव के खिलाफ बाल अधिकारों और महिला अधिकारों के महत्व की चर्चा करें। स्पष्ट करें कि किशोरवय को अधिकारों के सभी रूपों का ज्ञान और समझ उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकता है और उनके लिए सम्मानजनक एवं सार्थक जीवन सुनिश्चित कर सकता है।
- फिर, वर्तमान सत्र का उद्देश्य स्पष्ट करें जो बाल विवाह के परिणामस्वरूप मानव अधिकारों के उल्लंघन पर विचार करने का प्रयास है।
- अब, निम्न तालिका की रूपरेखा बनाएं और प्रत्येक पंक्ति बनाम कॉलम के तहत लड़कों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश करें। पंक्तियां विभिन्न मानव अधिकारों को दर्शाती हैं जबकि कॉलम इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले बाल विवाह के माध्यम से निहितार्थ दर्शाता है।
- कृपया स्पष्टि करें कि बाल विवाह और इससे संबंधित कुप्रथाओं जैसे कि लैंगिक दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा, दहेज, आदि में लड़के भले ही सक्रिय या निष्क्रिय अपराधी (विवाह करने या अनिच्छा से सहमत होने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं) हों, फिर भी उन्हें परिणाम भुगतना ही पड़ता है। आमतौर पर ये परिणाम कानून और अनुचित सामाजिक संस्कारों की अज्ञानता के कारण कानूनी अरक्षितता, बीच में छोड़ दी गयी शिक्षा, परिवार की मदद करने के लिए आजीविका अर्जन में जल्दी लग्न, खराब जीवन गुणवत्ता के रूप में होते हैं ।
- कुछ अपेक्षित उत्तर नीचे दिए गए हैं:

मानव-अधिकार	बाल विवाह के माध्यम से लड़कों के अधिकारों का उल्लंघन
जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार	बढ़ती पारिवारिक जिम्मेदारियों, बहुत जल्दी आजीवन संबंध में बंध जाने के कारण खेल और अवकाश का समय कम हो जाता है
निष्पक्ष सुनवाई	ज्ञान की कमी और गलत सामाजिक संस्कार विभिन्न महिला संरक्षण कानूनों के तहत दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होने के जोखिम का कारण बनता है – • बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए), • घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडब्यूडीवीए) • भारतीय दंड संहिता- बलात्कार की सजा (अनुच्देद 376) • किशोर न्याय अधिनियम (जेजे अधिनियम) 2000, 2006 में संशोधन • यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पीओएससीओ), 2012 • आईपीसी- भारतीय दंड संहिता की धारा 498A घरेलू हिंसा के मामले में आपराधिक शिकायत की व्यवस्था करती है। • गर्भाधान पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	• सामाजिक अनुबंधन के कारण जल्दी शादी होने या अभिभावक बनने में अभिव्यक्ति और निर्णयों पर विचार नहीं किया जाता है
धर्म की स्वतंत्रता	• वर्ष के किसी शुभदिन पर विवाह होना, पुजारियों पर पैसा खर्च करना जैसी धार्मिक प्रथाओं में भाग लेने के लिए मजबूर करना
स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-यापन के योग्य मानक	• बाल विवाह द्वारा प्रेरित गरीबी के चक्र के कारण न चाहते हुए भी लैंगिक पक्षतापूर्ण लिंग चयन में भाग लेना, घर से दूर प्रवासी श्रमिक के रूप में काम करते समय असुरक्षित यौन व्यवहार के कारण एचआईवी होना, स्वयं और परिवार के लिए उचित पोषण/ चिकित्सा सुविधाओं में कमी जैसे कि किशोरवय गर्भावस्था, शिशु मृत्यु दर, बच्चों में कुपोषण, शिक्षा बीच में छोड़ देना, आदि

- अब, सहभागियों को चार समूहों में बांटें। संलग्नक- संलग्नक 2: बाल विवाह में मानव अधिकारों का उल्लंघन की प्रति से अच्छीं तरह से फाड़ी गयी पर्ची की सहायता से प्रत्येक समूह के लिए मामल निर्दिष्ट करें।
- उनसे अपने समूहों में नीचे दी गयी प्रत्येक कहानी के दो प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करने के लिए कहें। उन्हें 20 मिनट का समय दें। यदि आवश्यक हो तो वे लिखित नोट्स बना सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने सौंपे गए कार्य को समझ लिया है, प्रत्येक समूह के पास जाएं। साथ ही, चर्चा में योगदान करने के लिए चुप बैठे सहभागियों को प्रोत्साहित करें।
- इसके बाद, प्रत्येक समूह से पास आने और प्रत्येक मामले के दोनों प्रश्नों पर अपने विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने के लिए कहें।
- उनके प्रस्तुत किए गए विचारों को नीचे दर्शाए गए रूप में विभिन्न श्रेणियों में लिखते रहें। कुछ अपेक्षित सामान्य बिंदुओं का यहां उल्लेख किया

गया है। आवश्यकतानुसार आप सूची में कुछ और बिंदुओं को जोड़ सकते हैं।

- सभी चारों प्रस्तुतियों के पूर्ण हो जाने के बाद, समूहों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दें और उनके उत्तरों को बाल विवाह के कारण अधिकार के उल्लंघन की चार श्रेणियों के साररूप में प्रस्तुत करें।
- दूसरे मामले- 'विकल्प् का अधिकार/निर्णय लेना और बाल विवाह: प्रतिमा और राम' के तहत 'घर से भागने' के मुद्दे को स्पष्ट करें। प्राय:, माता-पिता और समुदाय के सदस्य अंतरजातीय/धार्मिक शादियों की अनुमति नहीं देते हैं और बालिग/नाबालिग साथी उनकी इच्छाओं के विरूद्ध शादी करने के लिए भागने को तैयार रहते हैं। अपने परिवार में होने वाली ऐसी घटनाओं से बचने के प्रयास में, बेखबर माता-पिता अपने छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं। आधुनिक तकनीक और लड़कियों की घर से बाहर आवाजाही को किशोरवय को बिगड़ने का दोषी माना जाता है लेकिन मुद्दा फोन और आधुनिक तकनीक से संबंधित नहीं बल्कि जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए युवा लोग इनका जिस तरह से उपयोग करते हैं, उससे संबंधित है।

'किशोरवय सशक्तिकरण और सामाजिक लिंग आधारित हिंसा का समाधान करने के लिए कानूनी और नीतिगत समर्थन' के बारे में स्त्रोत पुस्तिका (किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट में प्रोडक्ट 12) की प्रतियां वितरित करें और इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करें।

- पीसीएमए (PCMA) कानून के बारे में बताएं- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) बाल विवाह को रोकता है और उल्लंघनों के लिए कठोर दंड निर्धारित करता है। अधिनियम के तहत वह विवाह जिसमें लड़कें की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम होती है, बाल विवाह माना जाता है। अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल हैं:

i) कानून का किसी भी तरह से उल्लंघन गैर जमानती है

ii) उल्लंघन करने वालों (दूल्हा और दुलहन पक्ष सहित) या कोई भी जो शादी तय कराने में मदद करता है, के लिए दो वर्ष का सश्रम कारावास या साथ में 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

iii) बाल विवाह निषेध अधिकारी को इस तरह के किसी भी विवाह को रोकने और आवश्यक कानूनी कदम उठाने का अधिकार है।

शिक्षा एवं बाल विवाह	स्वास्थ्य एवं बाल विवाह	हिंसा एवं बाल विवाह	विकल्प का अधिकार और बाल विवाह
उल्लंघन किए गए अधिकार: i. शिक्षा का अधिकार ii. लाभकारी रोजगार का अधिकार iii. प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य के विकल्प का अधिकार **प्रभाव** • शिक्षा बीच में छोड़ देना • खराब आर्थिक स्थितियां • बच्चों और परिवार की देखभाल करने में कठिनाईयां • परिवार का कुपोषण, विशेषकर महिलाएं और उनकी बेटियां • लड़कियों के खिलाफ लड़कों द्वारा की जाने वाली अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हिंसा • मां द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा का उसके बच्चों पर प्रभाव • अधूरी शिक्षा के कारण कैरियर के कम अवसर • असहायता में वृद्धि	**उल्लंघन किए गए अधिकार:** i. साथी चुनने का अधिकार ii. प्रजनन विकल्पों का अधिकार iii. पोषण एवं देखभाल का अधिकार iv. स्वास्थ्य तथा उपचार एवं देखभाल तक पहुंच का अधिकार **प्रभाव** • लड़कों/पुरुषों द्वारा एचआईवी होना • पति से संक्रमित होन के बावजूद भी एचआईवी के लिए लड़कियों को दोषी ठहराना • खराब स्वास्थ्य • सास-ससुर के घर से भगा दिए जाने पर परिवार के महिला सदस्या जैसे बहन/मित्र को आश्रय की कमी का सामना करना पड़ता है और माता-पिता के घर में भी शरण नहीं मिलती है	**उल्लंघन किए गए अधिकार:** i. शिक्षा का अधिकार ii. अपनी बेटियों को संरक्षण/ सुरक्षा प्रदान करने के लिए माता-पिता का अधिकार iii. प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य विकल्प का अधिकार iv. दहेज की मांग का विरोध करने का अधिकार **प्रभाव** • शारीरिक, अध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक • यौन शोषण/उत्पीड़न। यदि यौन संबंधों के लिए विवाहित जोड़ों के बीच जोर-जबरदस्ती, बल प्रयोग किया जाता और कोई सहमति नहीं है तो यह वैवाहिक बलात्कार कहलाता है	**उल्लंघन किए गए अधिकार:** i. शिक्षा का अधिकार ii. उन मूल्यों का अधिकार जो बच्चों को अपनी शिक्षा का उपयोग करना सिखाते हैं iii. निर्णय लेने का अधिकार जब दो अजनबियों की शादी की जा रही हो **प्रभाव** • शिक्षा बीच में छोड़ देना • कोई कौशल हासिल न कर पाना • संसाधनों का सीमित उपयोग • हिंसा का जोखिम • अपने शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है • लैंगिक गरीबी चक्र में फंस जाना

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- पीसीएमए द्वारा प्रस्तुत कानूनी प्रावधानों के तहत किन लोगों को दंडित किया जा सकता है?
- पीसीएमए के तहत बलपूर्वक/कम उम्र/ बाल विवाह को कैसे निरस्त किया जा सकता है?
- बाल विवाह के मामले की रिपोर्ट करने या रोकने के लिए कौन मदद कर सकता है या किससे सम्पर्क किया जा सकता है?

- बाल विवाह को हतोत्साहित करने में मदद करने वाली विभिन्न सरकारी योजनाएं कौन सी हैं?

3 अनुदेशक के नोट्स :

मामले की प्रस्तुतियों और निम्न चर्चाओं से विभिन्न: मुद्दे और वाद-विवाद उभर सकते हैं। हम यहां ये कहानियां सुन सकते हैं कि माता-पिता समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य नहीं करते हैं और बल्कि सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के विरोधी के रूप में अपने बच्चों को बुरी तरह प्रभावित होने के लिए छोड़ देते हैं। आप यहां "बिगड़े हुए" किशोरवय और अपने साथी जो समुदाय के लिए अस्वीकार्य हो सकते हैं, के साथ भागने में उन्हें प्रोत्साहित करने के रूप में मोबाइल फोन और आधुनिक तकनीक पर दोषारोपण भी सुन सकते हैं। मुद्दा फोन और आधुनिक तकनीक से संबंधित नहीं बल्कि जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए युवा लोग इनका जिस तरह से उपयोग करते हैं, उससे संबंधित है।

इस तथ्य पर कि बाल विवाह को एक मौन स्वीकृति प्राप्त है, चर्चा किए जाने की जरूरत है। हालांकि बाल विवाह के मामले में स्पष्ट कानून मौजूद है, फिर भी वे बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक उन्हें सामुदायिक स्तर पर लागू नहीं किया जाता ।

निम्न में से कुछ या सभी मुद्दों पर चर्चा करना याद रखें:

- बाल विवाह किसी के मानव अधिकारों में रुकावट डालने वाला कार्य है ।
- बाल विवाह लड़कियों के शिक्षा के अधिकार को रोकता है और शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है जिसका उल्लेख यूडीएचआर (UDHR) के खंड 26 में किया गया है।
- माध्यमिक शिक्षा का सार्वभूमिकरण बाल विवाह को विलंब करने में महत्वपूर्ण है। सबसे गरीब समुदायों से संबंधित लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है।
- बाल विवाह लड़कियों के स्वास्थ्य के अधिकार को कम करता है जो एक महत्वपूर्ण बुनियादी अधिकार भी है और इसका यूडीएचआर के अनुच्छेद 25 में उल्लेख किया गया है।
- यूडीएचआर का अनुच्छेद 23 अर्थात रोजगार का अधिकार और अनुच्छेद 22 अर्थात सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, भी बाल विवाह द्वारा प्रभावित किए जा रहे हैं।
- यूडीएचआर का अनुच्छेद 16, 'स्वतंत्र और पूर्ण सहमति' से शादी करने का अधिकार भी बाल विवाह की वजह से प्रतिबंधित किया जा रहा है क्योंकि नाबालिग लड़की/लड़के में शादी से संबंधित मतलब/जिम्मेदारियों की पहचान करने में परिपक्वता का अभाव होता है।
- मानव अधिकार एक-दूसरे से जुड़े होते हैं इसलिए यह निश्चित है कि बाल विवाह केवल ऊपर उल्लेख किए गए अधिकारों का ही नहीं बल्कि मनुष्य के अन्य सभी अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।
- भारत ने 10 दिसम्बर 1948 में जनरल असेम्बली में यूडीएचआर के पक्ष में वोट दिया। इसलिए भारतीय होने के नाते हम सभी यूडीएचआर में घोषित सभी मानव अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं।

इसके अलावा मानव अधिकारों के नजरिये से, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन (CEDAW) में निम्न बिंदु शामिल हैं:

- कानून के समक्ष महिलाओं और पुरुषों की समानता का सिद्धांत,
- महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए सभी भेदभावपूर्ण कानूनों का समाप्त करना और जो भेदभाव निरोधक उचित कानूनों को अपनाना ;
- भेदभाव के खिलाफ महिलाओं का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को स्थापित करना; और
- व्यिक्तियों, संगठनों या उद्यमों द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी कृत्यों का उन्मूलन सुनिश्चित करना।

कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन (CEDAW) में 30 अनुच्छेद हैं जो लड़कियों और महिलाओं के

अधिकारों और उनके खिलाफ भेदभाव समाप्त करने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए, की व्याख्या करते हैं। हालांकि सभी अनुच्छेद अपरिहार्य हैं, फिर भी जल्दी से समझने के लिए इनमें से कुछ प्रमुख अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं:

1. अनुच्छेद 1: लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की परिभाषा
2. अनुच्छेद 3: बुनियादी मानव अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी
3. अनुच्छेद 5: रूढ़ियों पर आधारित भूमिकाएं
4. अनुच्छेद 6: मानव तस्करी और वैश्यावृति
5. अनुच्छेद 10: शिक्षा
6. अनुच्छेद 11: रोजगार
7. अनुच्छेद 12: स्वास्थ्य
8. अनुच्छेद 16: विवाह एवं पारिवारिक जीवन

इसी तरह कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड (CRC) भी बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और संस्कृति के अधिकार सुनिश्चित करती है। कन्वेंशन में निर्धारित अधिकारों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता है:

- **प्रावधान:** कुछ वस्तुओं या सेवाओं को धारण, ग्रहण या उपयोग करने का अधिकार (जैसे नाम और राष्ट्रीयता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आराम और खेल तथा विकलांगों और अनाथों की देखभाल)
- **संरक्षण:** हानिकारक गतिविधियों और प्रथाओं से बचाव का अधिकार (जैसे माता-पिता से अलगाव, युद्ध में नियुक्ति, आर्थिक या यौन शोषण और शारीरिक एवं मानसिक दुर्व्यवहार)
- **सहभागिता:** बच्चे के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर सुनवाई करने का बाल अधिकार। क्षमताओं में विकास होने पर वयस्क जीवन की तैयारी के रूप में बच्चे के पास समाज की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर बढ़ जाएंगे (जैसे बोलने और राय देने, संस्कृति, धर्म और भाषा की स्वतंत्रता)

सीआरसी (CRC) में 54 अनुच्छेद हैं जो उपेक्षा और दुर्व्यवहार जिनका बच्चे सभी देशों में हर दिन विभिन्न स्तरों पर सामना करते हैं, के खिलाफ बच्चों की रक्षा के लिए मानक तय करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विचार बच्चे का बेहतर हित है। हालांकि सभी अनुच्छेद अत्यावश्यक है फिर भी जल्दी से समझने के लिए कुछ मुख्य अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं:

1. अनुच्छेद 1: बच्चे की परिभाषा: 18 वर्ष से कम आयु वाला प्रत्येक मनुष्य जो बच्चे के लिए लागू कानून के अनुसार इससे पूर्व वयस्क ता प्राप्त नहीं करता है।
2. अनुच्छेद 2: पक्षपातरहित
3. अनुच्छेद 5: माता-पिता, परिवार, समुदायिक अधिकार और जिम्मेदारियां
4. अनुच्छेद 6: जीवन, अस्तित्व और विकास
5. अनुच्छेद 19: दुर्व्यवहार और उपेक्षा (परिवार या देखभाल के समय में)
6. अनुच्छेद 24: स्वास्थ्य देखभाल
7. अनुच्छेद 26: सामाजिक सुरक्षा
8. अनुच्छेद 28: शिक्षा
9. अनुच्छेद 32: आर्थिक शोषण
10. अनुच्छेद 34: यौन शोषण
11. अनुच्छेद 35: अपहरण, बिक्री और मानव तस्करी
12. अनुच्छेद 40: किशोर न्याय

किशोरवय द्वारा अधिकारों के विभिन्नि रूपों का ज्ञान और समझ उनके सशक्तिकरण का कारण बन सकता है और उनके लिए सम्मानजनक तथा सार्थक जीवन सुनिश्चित कर सकता है। लड़कियों और लड़कों या महिलाओं और पुरुषों के रूप में हम सभी को संतोषप्रद जीवन जीने के लिए अपने जीवन में संसाधनों की आवश्यकता होती है। आज के समाज में, हम देखते हैं कि प्राय: महिलाओं और लड़कियों की तुलना में पुरुषों और लड़कों के लिए संसाधन बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। इस स्थिति में बदलाव करने की जरूरत है ताकि लड़कियों और महिलाओं के पास बेहतर जीवन जीने के लिए समान अवसर और संसाधन हों।

सत्र

5

45 मिनट

स्वस्थ विवाह में सहयोगियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पुन: परिभाषित करना

आवश्यक सामग्री

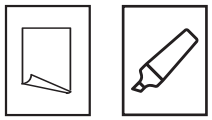

चार्ट पेपर

मार्कर पेन

उद्देश्य:

- स्पष्ट: संदर्भों में विवाह के निष्पक्ष अर्थ की पहचान करना
- स्वस्थ: विवाह में विवाहित जोड़ों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान करना

सशक्तिकरण केंद्र: मनोवैज्ञानिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; सामाजिक-सांस्कृतिक आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र शीर्षक के साथ उद्देश्यों की घोषणा करें।
- फ्लिप चार्ट पर 'विवाह' शब्दो लिखें और इसे जोर से पढ़ें। किशोरों से 'विवाह' शब्द को पढ़ते और सुनते ही उनके मन में तुरंत क्या् आता है, जोर से बोलने के लिए कहें। यह किसी भी भावना - खुशी, चिंता या डर से संबंधित हो सकता है।
- अब, उनसे अपनी बहनों, युवा चाची/मौसी या करीबी मित्रों की ओर से इसी प्रश्नत का उत्तर देने के लिए कहें। उनके उत्तरों को फ्लिप चार्ट पर नीचे दर्शाए गए रूप में दो भागों में लिखें और अंत में उनका सार प्रस्तुत करते हुए विचारों को आपस में सम्बद्ध करें। कुछ अपेक्षित उत्तर नीचे दिए गए हैं:

	हमारे समाज में लड़कों/पुरुषों के लिए विवाह का अर्थ	हमारे समाज में लड़कियों / महिलाओं के लिए विवाह का अर्थ
सकारात्मक	एक परिवार विवाह की रस्में, दावत, कपड़े	एक परिवार विवाह की रस्में, दावत, कपड़े
नकारात्मक	दहेज सभी अतिरिक्त जिम्मेदारियों को पूरा करने की दिशा में पारिवारिक जिम्मेदारियों और कठिनाइयों का जुड़ जाना पढ़ाई बीच में छूट जाना	प्रियजनों और बचपन के दोस्तों से दूर अज्ञात जगह पर चले जाना पढ़ाई बीच में छूट जाना खराब आर्थिक स्थिति और आजीविका न होने की संभावना बच्चों और परिवार की देखभाल करने में कठिनाइयां लड़की और उसके बच्चों दोनों में कुपोषण दहेज की मांग के साथ साथ लड़की द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा पति से एचआईवी होने और इसके लिए दोषी ठहराए जाने की संभावना खराब स्वास्थ्य स्थितियां - जल्दी या बार बार गर्भवती होना सास-ससुर के घर से निकाले जाने पर आश्रय की हानि और पैतृक घर में आश्रय न मिलना यौन शोषण/उत्पीड़न और हिंसा का जोखिम अपने शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य और पर नियंत्रण न होना

- अब, सहभागियों से इसका मूल्यांकन करने के लिए कहें कि विवाह में अधिक कठिनाइयों का सामना कौन करता है- लड़कियां/ महिलाएं या लड़के/पुरुष? सहभागियों को वह समय याद करने को कहें जब उनके करीबी महिला परिवार के सदस्यं जैसे मां, बहन, पड़ोसी या मित्र को शादी में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा तब उन्हें कैसा महसूस हुआ था?
- सहभागियों को बताएं कि आपका उद्देश्य विवाह के संबंध में उन्हें डराना नहीं बल्कि इसके लिए उन्हे तैयार करना है। उन्हें विवाह के संभावित मतलब से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए ताकि वे अच्छी तरह से जानकारी के साथ फैसले ले सकें। इस अभ्यास से अपने जीवन में कम उम्र विवाह के लिए मजबूर किये जाने पर अपने सहयोगियों व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत के समय उनके पास सही तर्क होंगे ।
- उन्हें 'पुरुष और महिला का औपचारिक मिलन, विशेष रूप से कानून द्वारा मान्यकता प्राप्त, जिसके द्वारा वे पति और पत्नी के रूप में बराबर के भागीदार बन जाते हैं' के रूप में विवाह की परिभाषा बताएं। 'बराबर' शब्द पर जोर दें और पूछे कि सहभागी इससे क्या समझते हैं।
- दोनों विवाहित सहभागियों की समान स्थिती से संबंधित सबसे अधिक प्रासंगिक पहलुओं को साझा करें। उपयुक्त उदाहरणों के साथ उनका समर्थन करें जैसे कि विवाहित महिलाओं का कॉलेज जाना, समान भोजन करना, गर्भनिरोधक का उपयोग करना आदि
  - » शिक्षा और आजीविका के समान अवसर,
  - » स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण तक समान पहुंच,
  - » घरेलू मामलों में आपसी निर्णय लेना जैसे कि बच्चों , घर का खर्च वहन करना आदि,
  - » घरेलू एवं लैंगिक दुर्व्यकवहार सहित हिंसा के सभी रूपों से समान सुरक्षा,
  - » घर के कार्यों और जिम्मेदारियों में समान हिस्सेदारी
- ऊपर उल्लेख किए गए अंतिम बिंदु का विस्तार करने के क्रम में, निम्न तालिका संरचना को चार्ट पेपर पर बनाएं और प्रत्येक पंक्ति के लिए

© Breakthrough/India

सहभागियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें। उन्हें दिन के अलग अलग समयों के दौरान महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा की गयी प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख करना है।

कुछ अपेक्षित उत्तर नीचे दिए गए हैं:

	पुरुषों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां	महिलाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियां
बहुत सुबह	सोना, अखबार पढ़ना, चाय पीना, काम पर जाने के लिए तैयार होना	खाना पकाना, नौकरी और स्कूल के लिए पति और बच्चों को तैयार करना
सुबह	नौकरी या आजीविका के लिए जाना	छोटे बच्चों/शिशुओं, परिवार के बड़े बुर्जुगों का ध्यान रखना, काम पर जाना
दोपहर	सोना या काम पर होना	काम पर होना, बच्चों को पढ़ाना, कपड़े धोना और सफाई करना
शाम/ देर रात	मित्रों और पड़ोसियों से गपशप करना, चाय या शराब पीना, टीवी देखना	खाना पकाना, बिस्तर बिछाना, अगले दिन के लिए तैयारी करना

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- क्या महिलाओं और पुरुषों द्वारा की जाने वाली दैनिक गतिविधियों के बीच अंतर है ? यदि हां, तो ये मुख्यौ अंतर क्या हैं?
- क्या सभी दैनिक गतिविधियां पति और पत्नी दोनों द्वारा की जा सकती हैं?
- विवाह में समान सहभागिता के लाभ क्या हैं?
- क्या आपको लगता है कि आप मानदंडों को तोड़ देंगे और दैनिक घरेलू कार्यों को करने में अपने जीवन साथी की सहायता करेंगे? क्या आपको लगता है कि आप इन सभी कार्यों और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हैं?
- क्या आपको लगता है कि विवाह में महिलाओं और पुरुषों द्वारा निभायी जाने वाली भूमिकाओं में परिवर्तन होना चाहिए? क्यों? कैसे?

3 अनुदेशक के नोट्स :

समाज विवाह के बाद महिला और पुरुष से विशिष्ट भूमिकाएं निभाने और विशिष्ट जिम्मेदारियां ग्रहण करने की उम्मीद करता है। और हम यह करते रहते हैं! यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो सभी पारिवारिक एवं घरेलू कार्य (शिशुओं को जन्मत देने के अलावा-जो केवल महिलाएं कर सकती है) महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं।

आमतौर पर महिलाएं तीन प्रकार के कार्य करती हैं:

1. प्रजननीय (परिवार, बच्चों का ख्याल रखना, घर के भीतर स्वास्थ्य देखभाल)
2. उत्पादक (घर के बाहर कमाई या घर के भीतर व्यावसाय/व्यापार करना)
3. आरामदायक और सामुदायिक (मेहमानों, समारोहों का ख्याल रखना और अब समान रूप से पंचायती राज (PRI)

लेकिन, पुरुष केवल दो प्रकार के कार्य करते हैं, अर्थात उत्पादक (कमाई) और सामुदायिक (घर के बाहर समाज के साथ बातचीत करना)। इस प्रकार महिलाओं के पास कार्य का तिगुना बोझ है। हालांकि महिलाएं अधिक आर्थिक जिम्मेदारी संभालती हैं, लेकिन पुरुषों ने अब घरेलू कार्यों के अपने हिस्से को संभालना शुरू किया है। पुरुषों को भी बच्चों के पालन पोषण (नन्हें शिशुओं की देखभाल करना, लंगोटी बदलना, यूनिफार्म बदलना, स्कूल होमवर्क कराना, बीमार बच्चे का ध्यान रखना, उनका भावनात्मक सहारा बनना, उनसे उनके शौक, गतिविधियों, आकांक्षाओं आदि के बारे में बात करना) में योगदान करना चाहिए।

गतिविधियों का साझा पति और पत्नी को एक दूसरे के करीब लाता है। इसे वास्तविक सहभागिता भी कहा जा सकता है। उन परिवारों के बच्चे जहां माता और पिता दोनों उन्हें पाल-पोसकर बड़ा करने में समान जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं, अधिक साहसी, सामाजिक और विभिन्न चुनौतियों से निपटने में सक्षम होते हैं।

© Breakthrough/India

मॉड्यूल III : सामाजिक लिंग आधारित हिंसा समाप्त करना

सत्र

6

60 मिनट

लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को समाप्त करना

आवश्यक सामग्री

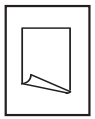

चार्ट पेपर

मार्कर पेन

संलग्नक- संलग्नक 3 : बाल विवाह में घरेलू हिंसा से निपटना की प्रतियां

उद्देश्य :

- घरेलू हिंसा की परिस्थितियों की पहचान करने और उन्हें चुनौती देने के लिए किशोरों को प्रोत्साहित करना
- सामाजिक लिंग, सत्ता और हिंसा के बीच संबंध की पहचान करना
- घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA) की मुख्य विशेषताओं को पहचानना

सशक्तिकरण केंद्र: मनोवैज्ञानिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; सामाजिक-सांस्कृतिक; आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र शीर्षक के साथ उद्देश्यों की घोषणा करें।
- सभी सहभागियों को संलग्नक- संलग्नक 3: बाल विवाह में घरेलू हिंसा से निपटना की प्रतियां वितरित करें।
- फिर, सहभागियों को 5-6 सदस्यों वाले समूहों में बांटें और उनसे एक साथ कहानी पढ़ने और अपने समूहों में नीचे उल्लेख किए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करने के लिए कहें। उन्हें 20 मिनट का समय दें। यदि आवश्यक हो तो वे लिखित नोट्स बना सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने सौंपे गए कार्य को समझ लिया है, प्रत्येक समूह के पास जाएं। साथ ही, चर्चा में योगदान करने के लिए चुप बैठे सहभागियों को प्रोत्साहित करें।
- इसके बाद, प्रत्येक समूह से पास आने और प्रत्येक मामले के दोनों प्रश्नों पर अपने विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने के लिए कहें।
- सभी प्रस्तुतियां पूर्ण करने के बाद, समूहों को उनकी सहभागिता और मुद्दे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद दें।

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- प्रसाद घर में हिंसक क्यों था? किन परिस्थितियों ने उसे नीना के खिलाफ हिंसा करने की अनुमति दी?

- राधव के सात वर्षीय बेटे पर घरेलू हिसा का क्या प्रभाव पड़ा, परिवार में इन हिंसक कृत्यों का साक्षी कौन था?
- घरेलू हिंसा के लिए सबसे सामान्य औचित्यि क्या हैं? क्या नीना की ओर प्रसाद का हिंसक रवैया कभी उचित ठहराया जा सकता है?
- क्या कोई व्यक्ति, विशेष रूप से पुरुष, घरेलू हिंसा को कम कर सकता है?
- महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का समाधान करने के कानूनी प्रावधान क्या हैं?

3 अनुदेशक के नोट्स :

घरेलू हिंसा क्या है?

घरेलू हिंसा परिवार के भीतर या रक्त सम्बन्धियों के बीच में शारीरिक, लैंगिक, मनोवैज्ञानिक या वित्तीय अधिकारों उल्लंघन है। इसमें शामिल हैं:

- भावनात्मक दुर्व्यैवहार, पूरी तरह से तिरस्कार, उपहास, मौखिक दुर्व्यवहार, अलगाव, या आने जाने पर प्रतिबंध
- शारीरिक हिंसा
- लैंगिक दृष्टि से अपमानजनक आचरण
- आर्थिक अभाव
- अनुचित दहेज की मांग के कारण उत्पीरड़न

दुर्व्यवहार करने वाले हर जगह होते हैं। वे महिला या पुरुष हो सकते हैं, लेकिन प्रवृत्ति संकेत करती है कि इन अपराधियों में से अधिकांश पुरुष होते हैं। दुर्व्यवहार करने वाले जिम्मेदार हैं, और घरेलू हिंसा के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। आम धारणा के विपरीत, घरेलू हिंसा का कारण तनाव, मानसिक बीमारी, शराब या नशीले पदार्थों नहीं हैं हालांकि ये जोखिम कारक हो सकते हैं। घरेलू हिंसा का एकमात्र वास्तविक कारण हिंसात्मक ढंग से कृत्य करने के लिए दुर्व्यवहार करने के विकल्प का चुनाव है। हिंसा/उत्तरजीविता का सामना करने वाला व्यक्ति दुर्व्यवहार करने वाले के व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं है। 'सहभागी को दोषी ठहराना' कुछ ऐसा ही है जैसा दुर्व्यवहार करने वाला प्राय: अपने हिंसक व्यवहार को सही साबित करने के लिए करता है। यह पद्धति का एक हिस्सा है और अपने आप में अपमानजनक है। महिलाओं को अक्सर हिंसा के लिए जिम्मेदार समझा जाता हैं और उन्हें यह बताना महत्वपूर्ण है कि हिंसा उनकी गलती नहीं है।

व्यक्तिगत स्तर पर, एक पुरुष युवा के रूप में हिंसा का साक्षी हो सकता है, शायद परिवार के भीतर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो या वो घरेलू हिंसा का साक्षी रहा हो। इस तरह के सामाजिक संस्कार व्यक्ति की स्वयं की छवि को प्रभावित करते हैं। वे महसूस कर सकते हैं कि हिंसक होने के लिए उनके पास सामाजिक अनुमति है क्योंकि वे अपने आस पास इसे देखते हैं। घर में होने वाली हिंसा के साक्षी बच्चे संबंध-विच्छेद, आत्म सम्मान में कमी, दु:स्वप्नय और साथियों एवं परिवार के सदस्यों के खिलाफ आक्रामकता के रूप में विविध भावनात्मक एवं व्यवहारवादी बाधाएं प्रदर्शित करते हैं। अपने माता-पिता की घरेलू हिंसा के साक्षी रहे बच्चों में अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यरवहार करने की संभावना अहिंसक माता-पिता के बच्चों की तुलना में अधिक होती है। अधिक हिंसक माता-पिता के बेटों में पत्नी को मारने-पीटने वाला पति बनने की संभावना अधिक होती है। किशोरवय जिन्हें घरेलू हिंसा से अवगत कराया गया है, अधिक मजबूत स्थिति में हो जाते हैं क्योंकि सामाजिक संबंधों के अधिक सकारात्मक तरीके में खुद को जोड़ने के लिए उन्हें यह मुश्किल लगता है।

दूसरी ओर, परंपरा भी पुरुषों को कार्यवाही करने की अनुमति देती है; वे अपने आस पास दिखायी देने वाली हिंसा के लिए तेजी से और अधिक निर्णायक ढंग से प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं।

यहां घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए सहायता करने में महत्वपूर्ण लोगों के रूप में पुरुषों और लड़कों को शामिल करने के कुछ कारण दिए गए हैं।

- क्योंकि पुरुष देखभाल करते हैं: ज्यादातर पुरुष शिष्ट होते हैं अपने जीवन और समुदाय में महिलाओं एवं लड़कियों की चिंता करते हैं। ये महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान तैयार करने में सबसे बड़े सहयोगी हैं।
- क्योंकि पुरुष हिंसा रोक सकते हैं: घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, हिंसक पुरुषों को विभिन्न विकल्प चुनने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए। यदि हर बार पुरुष की आवाज हिंसा के खिलाफ बोलने वाली महिलाओं की आवाज के साथ जुड़ जाए तो हम सभी के लिए दुनिया सुरक्षित हो जाती है।
- क्योंकि पुरुष पुरुषों को सुनते हैं: पुरुषों में दूसरे पुरुषों को सुनने की संभावना अधिक होती है और उन्हें शिक्षित किया जा सकता है कि शक्तिशाली पुरुष महिलाओं का सम्मान करते हैं।

- क्योंकि घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है: पारिवारिक हिंसा हर किसी को प्रभावित करती है और लैंगिक नजरिए एवं व्यवहार से उत्पन्न् होती है। हिंसा रोकने के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों को सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने और उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
- क्योंकि पुरुष उत्तरजीवियों को जानते हैं: ये पड़ोसी, मित्र, और हिंसा से पीड़ित महिलाओं के पारिवारिक सदस्य् हैं। अधिकांश पुरुषों के जीवन में किसी समय उनका कोई करीबी उनसे सहायता की अपेक्षा कर सकता है। पुरुषों को इच्छा, दया और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- क्योंकि पुरुष उत्तरजीवियों के साथ कार्य करते हैं: पुरुष समाज का एक अभिन्न अंग हैं जो हिंसा से निपटने में परिवारों का समर्थन और उनके साथ बातचीत करते हैं।वे संकट में परिवारों के साथ कार्य करने वाले न्यायधीशों, पुलिस अधिकारियों और डाक्टरों के पदों पर कार्य करते हैं।

घरेलू हिंसा समाप्त करने के लिए पुरुष निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

- चुप न रहें, दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाएं;
- अपने खुद के व्यवहार पर विचार करें, समझें कि कैसे आपका खुद का दृष्टिकोण और चाल-चलन यौनिकता एवं उत्पीड़न को बनाए रखता है, और उन्हें बदलने की दिशा में काम करें। यदि आप किसी महिला के प्रति हिंसक हो गए हैं तो अपमानजनक व्यवहार को बदलने के लिए तत्काल सहायता और समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करें;
- दूसरों के लिए मिसाल बनें और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देकर दुर्व्यवहार रोकें;
- बच्चों से बात करें और उनके बीच लिंग संवेदनशीलता को बढ़ावा दें;
- मीडिया में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की छवियों का विरोध करें;
- हिंसा रोकने के बारे में अन्यं पुरुषों से बात करें
- उन महिलाओं के लिए समर्थन प्रकट करें जो घरेलू हिंसा से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं;
- महिला मित्रों, उनकी सुरक्षा के लिए उनके डर और चिंताओं को सुनें और उनकी सहायता करें जब वे अपमानित किए जाने के समय आप पर विश्वास करें;
- अहिंसा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि करने के लिए शिक्षा और जागरूकता के प्रयासों में बढ़ोतरी करें और पारिवारिक हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्सातहित करें;
- महिलाओं की पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक समानता के लिए प्रतिबद्ध राजनीतिक पद वाले उम्मींदवार का समर्थन करें;
- उन कानूनों का समर्थन करें जो हिंसा समाप्त करने की जिम्मेदारी लेने के लिए पुरुषों को प्रोत्साहित करते हैं;
- जागरूक बने और पीडब्यूडीवीए (PWDVA) 2005 के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी का प्रसार करें। PWDVA या घरेलू हिंसा के प्रति महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 घरेलू हिंसा का सामना करने वाली सभी महिलाओं की सुरक्षा करता है। यह एक नागरिक कानून है और इसके तहत कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है। मां, बेटी, बहन, पत्नी, लिव-इन सहयोगी और आश्रित बच्चे कानून का सहारा ले सकते हैं। महिलाओं की ओर से कोई भी निम्न लोगों में से किसी के भी साथ घरेलू प्रसंग रिपोर्ट (DIR) दाखिल करके शिकायत कर सकता है:

- जिला स्तर पर तैनात संरक्षण अधिकारी (PO)
- सेवा प्रदाता (SP) या आपके क्षेत्र में काम कर रहे पंजीकृत NGOs
- मजिस्ट्रेट
- वकील
- पुलिस

प्रत्येक मामले की पहली सुनवाई शिकायत दर्ज किए जाने के तीन दिनों के भीतर की जाती है। मामले की अंतिम सुनवाई शिकायत दर्ज किए जाने के 60-90 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए, इसमें असफल होने पर PO को दंड की धारा का सामना करना पड़ता है।

PWDVA में पीड़ित महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है जो नि:शुल्क चिकित्सा सहायता, सुरक्षित निवास, और अपमान करने वाले साथी से सुरक्षा, बच्चों की निगरानी, नगद मुआवजा एवं रखरखाव और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, ऐसे मामलों से निपटने के लिए आप महिलाओं के लिए टोल-फ्री नेशनल हेल्पसलाइन नम्बकर 1091 पर फोन कर सकते हैं या अपने क्षेत्र में पंजीकृत एनजीओ को सूचित कर सकते हैं।

सत्र

7

45 मिनट

लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना

आवश्यक सामग्री

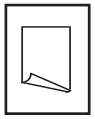
चार्ट पेपर

मार्कर पेन

संलग्नक- संलग्नक 4: लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना, की प्रतियां,

उद्देश्य :

- मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के रूप में खुलेआम लड़कियों/महिलाओं के यौन उत्पीड़न की पहचान करने में किशोरों की सहायता करना
- किशोरों द्वारा किए जाने वाले खुलेआम यौन उत्पीड़न के कृत्यों के पीछे के कारणों का विश्लेषण करने में सहभागियों की सहायता करना
- खुलेआम यौन उत्पीड़न के खिलाफ भारत के कानूनी निवारण तंत्र के बारे में सहभागियों को बताना

सशक्तिकरण केंद्र: मनोवैज्ञानिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; सामाजिक-सांस्कृतिक

1 क्रियाविधि :

- शिक्षण उद्देश्यों के साथ सत्र के शीर्षक को जोर से बोलें।
- सभी सहभागियों को 'संलग्नक संलग्नक 4: लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना' की हैंडआउट प्रतियां वितरित करें।
- इसके बाद, सहभागियों को 5-6 सदस्यों वाले समूहों में बांटे और उनसे अपने समूहों के भीतर एक साथ कहानी पढ़ने और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करने के लिए कहें। उन्हें 20 मिनट का समय दें। यदि आवश्यक हो तो वे लिखित नोट्स बना सकते हैं।

- यही सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने सौंपे गए नियत कार्य को समझ लिया है, प्रत्येक समूह के पास जाएं। साथ ही चर्चा में योगदान करने के लिए चुप बैठे सहभागियों को प्रोत्साहित करें।
- फिर, प्रत्येक समूह से पास आने और प्रत्येक केस अध्ययन के दोनों प्रश्नों पर अपने विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कहें।
- समस्त प्रस्तुतियां पूर्ण हो जाने के बाद, समूहों को उनकी सहभागिता और मुद्दे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने के लिए धन्यवाद दें।
- सत्र समाप्त करने से पहले, सहभागियों से इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के क्रम में अपने मित्रों और परिवार को कॉमिक स्ट्रिप हैंड आउट (हास्य पट्टी हैंड आउट) सौंपने के लिए कहें।

2 चर्चा के प्रश्न :

- लड़कियों और महिलाओं का खुलेआम यौन उत्पीड़न क्या है? क्या आप उदाहरण दे सकते हैं?
- यह लड़कियों और महिलाओं को किस तरह से प्रभावित करता है?
- लड़के/पुरुष लड़कियों/महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कृत्य क्यों करते हैं?
- क्यो यह अपराध करने वाले लड़कों/पुरुषों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है?
- यदि लड़कियों और लड़कों के बीच स्वंस्थ बातचीत के लिए पर्याप्त स्थान और मंच हों तो क्या इससे गंभीर खतरे को रोकने में मदद मिलेगी?
- यौन उत्पीड़न के खिलाफ हमारे देश में कौन से कानूनी निवारण तंत्र उपलब्ध् हैं?
- लड़कियों/महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न रोकने के लिए आप सब कौन से कदम उठाएंगे?

3 अनुदेशक के नोट्स :

किसी सार्वजनिक स्थानि पर पुरुष द्वारा महिला के बारे में अवांछित यौन टिप्पहणी करना या प्रस्ताव रखना यौन उत्पीड़न है। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो महिलाओं और लड़कियों के लिए भारी मानसिक यातना और अपमान का कारण बनता है जब उन्हें सड़क पर या सार्वजनिक परिवहन में प्रताड़ित किया जाता है। यह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किया जा सकता है, और यह किसी एक महिला या उनके समूह को निशाना बना सकता है। यह सामाजिक रूप से अस्वीकृत टिप्पणी या अश्लीलि उक्ति का मौखिक कथन भी हो सकता है। ये किसी महिला को स्पर्श करना या उससे शरीर छुआना, उसका पीछा करना या अवांछित टिप्पणी करके उसे असहज महसूस कराना तक भी आगे बढ़ सकते हैं।

खुलेआम यौन उत्पीड़न में शामिल है:

- अश्लील टिप्पणी
- शारीरिक संपर्क और प्रस्ताव
- अश्लील साहित्य दिखाना
- यौन कृत्यों के लिए जिद्द या अनुरोध करना
- कोई भी अप्रिय शारीरिक, मौखिक/गैर-मौखिक प्रकृति में यौनिक आचरण करना है।

यौन उत्पीड़न किसी महिला के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का सीधा अतिक्रमण और जीवित रहने के लिए महिला के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। यह विशेष रूप से उल्लंघन करता है,

- जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार,
- यातना से मुक्ति,
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और
- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन यापन के पर्याप्त मानक, क्योंकि उसकी गतिशीलता प्रतिबंधित हो जाती है या उसे कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है।

भारत में, इन अमानवीय कृत्यों और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के उल्लंघन के प्रति महिलाओं की अधीनता का प्रमुख कारण समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जहां पुरुष सदस्यों को महिलाओं से बेहतर माना जाता है। समाज में महिलाओं और पुरुषों की भूमिका प्रभुत्व और परतंत्रता के संदर्भ में देखी जाती है। महिलाओं को आज्ञाकारी समझा जाता है और पुरुषों के नियंत्रण और देख-रेख में रखा जाता है। इन कारणों के अलावा, महिलाओं को वश

में करने और उनके शोषण के लिए पुरुषों को जो प्रोत्साहित करता है वह विपरीत लिंग पर अपनी ताकत साबित करने की उनकी इच्छा है। इन अपराधों के कुछ सामान्य कारणों में बदला, अपने हितों के गैर आपसी संबंधों पर घृणा या शक्ति की शह पर मात्र खुशी भी हो सकते हैं। क्योंकि समाज अभी भी महिलाओं के सम्मान करने की आवश्यकता को समझने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित और परिपक्व नहीं हुआ है।

इसके अलावा हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा् लड़कियों और लड़कों के स्वस्थ मेले-जोल की अनुमति नहीं देता है। परिणामस्वारूप लड़के विपरीत लिंग के बारे में मीडिया और फिल्मों द्वारा पेश किए गए रूप के चलते गलत धारणाएं बना लेते हैं जैसे कि जब लड़के उनकी तरफ शारीरिक/लैंगिक प्रकृति का ध्यान देते हैं और उनकी बेइज़्ज़ती करते हैं, तो लड़कियों को मजा आता है । यदि लड़कियों और लड़कों के बीच बचपन से ही स्वस्थ बातचीत और गतिविधि साझा करने को बढ़ावा दिया जाए तो इन गलत धारणाओं को समाप्त किया जा सकता है क्यों कि वे लड़कियों और लड़कों दोनों के असली मुद्दों और व्यवहार से अवगत हो जाएंगे।

समाज में लड़के/पुरुष लड़कियों/महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हो सकते हैं:

- चुप न रहें, दुर्व्यहार के खिलाफ आवाज उठाएं;
- अपने खुद के व्यवहार पर विचार करें, समझें कि कैसे आपका खुद का दृष्टिकोण और चाल-चलन यौनिकता एवं उत्पीड़न को बनाए रखता है, और उन्हें बदलने की दिशा में काम करें;
- सबके लिए मिसाल पेश करें और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देकर दुर्व्यवहार रोकें;
- मीडिया और अश्लील साहित्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की छवियों का विरोध करें;
- उत्पीड़न रोकने के बारे में अन्य पुरुषों से बात करें;
- उन महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से समर्थन प्रकट करें जो यौन उत्पीड़न से लड़ने का प्रयास करती हैं;
- महिला मित्रों, उनकी सुरक्षा के लिए उनके डर और चिंताओं को सुनें और उनकी सहायता करें;
- उन कानूनों का समर्थन करें जो यौन उत्पीड़न को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेने के लिए पुरुषों को प्रोत्साहित करते हैं।

यौन उत्पीड़न संबंधी अपराधों को **भारतीय दंड संहिता (आईपीसी),** की धारा 509, 294 और 354 के तहत पेश किया गया है। पीड़ित निम्न के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:

- आईपीसी की **धारा 294**, जो किसी लड़की या महिला को अश्लील इशारे, टिप्पणी, गाना या कविता के जरिए परेशान करने का दोषी पाए जाने वाले पुरुष को अधिकतम तीन महीने की जेल की सजा का दंड देती है।
- आईपीसी की **धारा 292**, स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है कि किसी महिला या लड़की को अश्लील या गंदी तस्वीर, किताब या कागजात दिखाने पर पहली बार अपराध करने वालों पर दो वर्ष के कारावास के दंड के साथ साथ 2000 रुपये का जुर्माना किया जाता है। बार बार अपराध करने की स्थिति में अपराधी को पांच वर्ष के कारावास के दंड साथ साथ 5000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है।
- आईपीसी की **धारा 509** के तहत, किसी भी महिला या लड़की की ओर अश्लील हरकत करने, अभद्र भावभंगिमा दर्शाने और नकारात्मक टिप्पणी करने या ऐसी किसी वस्तु का प्रदर्शन करने जो महिला के निजता का उल्लंघन, के लिए एक वर्ष के कारावास का दंड या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता की **धारा 354**A के तहत यौन उत्पीड़न करने और व्यूक्त अपराध की धारा में परिवर्तन किया गया जिसमें तीन वर्ष के कारावास और/या जुर्माने का दंड है। संशोधन ने नयी धाराएं भी शामिल की हैं जैसे किसी व्यक्ति द्वारा बिना सहमति के महिला के वस्त्रा उतारना, पीछा और यौन कृत्य करना जैसे कृत्यश अपराध हैं।
- कार्यस्थकलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अधिकांश कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

सत्र

8

60 मिनट

लैंगिक हिंसा से स्वयं की रक्षा करना

आवश्यक सामग्री

- संलग्नक- संलग्नक 5- छोटे बच्चों में यौन दुर्व्यवहार की प्रतियां
- A4 आकार वाले सादे कागज
- यौन उत्पीड़न- बुकमार्क की प्रतियां और कार्ड

उद्देश्य :

- उनके खिलाफ यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं की पहचान करना।
- यौन दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के खिलाफ स्वयं की रक्षा करने में किशोरों को समर्थ बनाना।
- लैंगिक अपमानजनक रिश्तों को समाप्त करना और उनका विरोध करना।

सशक्तिकरण केंद्र: मनोवैज्ञानिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; सामाजिक-सांस्कृतिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र शीर्षक के साथ उद्देश्य को जोर से बोलें।
- प्रत्येक सहभागी को सादे कागज की शीट दें और उनसे यहां दर्शाए गए रूप में अपने शरीर की सरल रूपरेखा खींचने के लिए कहें।

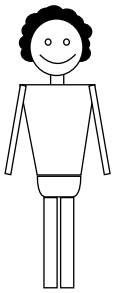

- इसके बाद, उनसे शरीर की रूपरेखा के अपने रेखाचित्र में उन निजी क्षेत्रों पर क्रॉस चिन्ह (X) लगाने के लिए कहें जिन्हें किसी और ने देखा या स्पर्श किया है जिससे परेशानी और बुरी अनुभूति होती है। शरीर के रेखाचित्र का शेष भाग सार्वजनिक क्षेत्रों को प्रदर्शित कर सकता है जो अन्ये लोगों द्वारा देखे जा सकते हैं।
- अब, प्रत्येक सहभागी को सादे कागज की एक और शीट दें और उनसे निम्नानुसार दो सीधी रेखाएं खींचने और कागज को तीन कॉलमों में विभाजित करने के लिए कहें:

मेरे सबसे विश्वसनीय लोग	यौन दुर्व्यवहार के संकेत (सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श)	यौन दुर्व्यवहार से लड़ना

- सहभागियों से अपने किसी भी राज (रहस्य) के बारे में विचार करने के लिए कहें। अब, उनसे किसी भी व्यक्ति/लोगों के नाम लिखने के लिए कहें जिनके साथ वे बिना किसी डर या संदेह के इन राजों को आसानी से साझा करेंगे। यह उनके अपने परिवारों से कोई भी हो सकता है जैसे मां या पिता, अध्यापक, पड़ोसी या मित्र आदि।
- इसके बाद, उनसे यह पूछें कि वे निम्न परिस्थितियों में कैसा महसूस करते हैं:
  - मां द्वारा गले लगाया जाना
  - बहन या भाई द्वारा गालों पर चुम्बन लेना
  - दादा जी के चरण स्पर्श करने पर उनके द्वारा सिर पर हाथ फेरना
  - परिवार के सदस्य की उपस्थिति में जांघ या नितंब पर सुई लगाता डाक्टर
- अब, उनसे यह पूछें कि वे इन परिस्थितियों में कैसा महसूस करेंगे:
  - कपड़े बदलते समय या स्नान करते समय आपकी ओर ताक-झांक करते लोगों को पकड़ना
  - आपके पैरों और नितंबों के बीच आपको स्पर्श करने की कोशिश करता एक ज्ञात व्यक्ति
- अंतिम दो परिस्थितियों के लिए उनसे संबंधित 'सुरक्षित स्पर्श' और 'असुरक्षित स्पर्श' की अवधारणा की व्याख्या करें। 'सुरक्षित स्पर्श' और 'असुरक्षित स्पर्श' के बीच महत्वपूर्ण अंतर का उल्लेख करने के लिए अनुदेशक के नोट्स की सहायता लें। साथ ही, अगले दो बिंदुओं की अपनी चर्चा के रूप में सहभागियों से 'यौन दुर्व्यवहार का संकेत' और 'यौन दुर्व्यवहार से लड़ना' के तहत दूसरे और तीसरे कॉलम में नोट्स बनाते रहने के लिए कहें।
- सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श से संबंधित इन महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करें:
  - हमारी अनुमति के बिना हमें कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। हमारा अपने शरीर पर अधिकार है। (नाबालिग के मामले में अनुमति के साथ छुना भी अपराध माना जाता है)।
  - विशेष रूप से, हमारे अंत: वस्त्र (इनरवियर) से ढके क्षेत्रों को किसी को भी स्पर्श नही करना चाहिए है जो हमारे पैरों और नितंबों के बीच शामिल होते हैं। जब हम बीमार या शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं तो डाक्टर या माता पिता हमें साफ और स्वस्थ होने में हमारी मदद कर सकते हैं।
  - जब कोई हमारी इच्छा के विरूद्ध हमें असुरक्षित स्पर्श करता है तो उस समय किए जाने वाले **तीन काम** हैं:
    - **कहें "नहीं!** मुझे मत छुओ।"
    - **दौड़े** और उस व्यक्ति से दूर भाग जाएं
    - **इसके बारे में** उस व्यक्ति को **बताएं** जिसपर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं (सहभागियों से चरण 5 के तहत गतिविधि के दौरान उनके द्वारा पहचान किए गए लोगों का उल्लेख करने के लिए कहें)
      (यौन दुर्व्यवहार से निपटने के लिए सहभागियों से इन तीन चरणों को जोर से पढ़ने के लिए कहें)
- सहभागियों को **चाइल्डलाइन नम्बर 1098** बताएं, इस तथ्य पर जोर दें कि इस नम्बर पर तभी फोन करना चाहिए जब बच्चों द्वारा बताए गए यौन दुर्व्यवहार के खिलाफ सुनने या कार्यवाही करने के लिए करीबी परिवार के सदस्य /अभिभावक मना कर दें।
- संलग्नक - संलग्नक 5 : छोटे बच्चों में यौन दुर्व्यवहार की प्रतियां वितरित करें और सहभागियों से इसे अपने परिवारों को बताने के लिए कहें। बाल यौन हिंसा के ऐसे मामले में सहायता करने वाले स्थानीय गैर सरकारी संगठनों (NGOs) की सूची की पहचान करें और हैंडआउट में नाम/सम्पर्क विवरण जोड़ें।
- सहभागियों से 'मोहन की कहानी' पढ़ने और कुछ संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने के लिए कहें।

2 चर्चा के प्रश्न :

- जब मोहन को 'असुरक्षित स्पर्श' किया जा रहा था तो क्या यह उसकी गलती थी?
- ऐसे बार-बार यौन हमले से खुद की रक्षा करने के लिए मोहन क्या कर सकता था? क्या वह इसके बारे में अपने माता-पिता को बताने से डरता था?
- उसे बार-बार यौन हमले से बचाने में मदद करने के लिए मोहन के माता-पिता क्या कर सकते थे?

- क्या मोहन में 'पुरुष गौरव' था जो दुर्व्यवहार के बारे में अपने माता-पिता को बताने से उसे रोक देता था?
- मोहन के जैसी समान परिस्थिति में किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए आप क्या करेंगे?

3 अनुदेशक के नोट्स :

सुरक्षित स्पर्श बनाम असुरक्षित स्पर्श

सुरक्षित स्पर्श	असुरक्षित स्पर्श
• सुखद अनुभूति देता है जो हर किसी के साथ साझा किया जा सकता है (नाबालिग के मामले में लागू नहीं)	• दुःखद अनुभूति देता है जो हर किसी के साथ आसानी से साझा नहीं किया जाता
• खुला, पारस्परिक और कभी भी बिना अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है (नाबालिग के मामले में अनुमति के साथ छुना भी अपराध माना जाता है)	• स्पर्श किए जा रहे व्यक्ति के लिए निर्धारित खतरों के साथ प्राय: छिपा होता है
• कभी भी बच्चों के पैरों और नितंबों या छाती के बीच नहीं किया जता है, मगर चिकित्सा कारणों के लिए डाक्टर या माता-पिता द्वारा और सदैव अनुमति के साथ किया जा सकता है	• पैर, नितंब या छाती के बीच वाले क्षेत्र सहित शरीर के किसी भी भाग पर ज्यादातर अनुमति के बिना ही किया जा सकता है
• छोटे बच्चों के निजी शारीरिक अंगों पर कभी भी दूसरों द्वारा अनुरोध नहीं किया जा सकता	• अजनबियों तथा परिवार के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है
	• दूसरों द्वारा भी अनुरोध किया जा सकता है जैसे उनके निजी अंगों या होंठों आदि का स्पर्श करने की मांग करके
	• तब भी अनुभव किया जा सकता है जब कोई और आपके सामने अपने निजी शारीरिक अंगों को स्पर्श करता है
	• साथ ही फोटो या वीडियो बनाने के लिए कैमरा के सामने अस्वीकार्य तरीके से कपड़े उतारने या अभिनय करने के लिए अनुरोध करना भी शामिल है

सहभागियों के लिए यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई उनका 'असुरक्षित स्पर्श' करके लैंगिक रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार या उत्पीड़न करता है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बच्चों को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह वृद्ध, वयस्क् व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति है जिसकी गलती है और जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। फिर भी, लड़के दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति से नहीं कहना, भाग जाना और करीबी लोगों जिन पर वे विश्वास करते हैं, को घटना की जानकारी देना के तीन चरणों का पालन करके खुद की सहायता कर सकते हैं।

भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करने के बाद भी, यदि बच्चों की सुरक्षा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं होती (अर्थात दुर्व्यवहार करने वाले से कोई सुरक्षा नहीं मिलती, वे वही रहते हैं, या कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी जाती है) नहीं की जा रही है तो बच्चों को दूसरे व्यक्ति के पास जाने एवं उसे बताने, और तब तक बताते रहना जब तक कोई उन पर विश्वास नहीं कर लेता, की सलाह दी जानी चाहिए। वे 1098 चाइल्ड लाइन नम्बर पर फोन और मामले की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। चाइल्ड-लाइन एक सेवा है जो पूरी तरह से बच्चों के लिए ही है। बच्चों द्वारा किए गए ऐसे फोन पर बात करने वाले लोग बच्चों की सुनते हैं और उठाए जा सकने वाले अगले कदम के बारे में उन्हें निर्देश देते हैं। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह एक आपातकालीन हेल्पनलाइन है और कार्यवाही की प्रथम पंक्ति में नहीं होनी चाहिए।

'बुरा' या 'असुरक्षित' स्पर्श में सिर और पीठ पर अनौपचारिक लेकिन अनावश्यक हाथ फेरना और सिर्फ निजी अंगों तक ही सीमित नहीं रहना भी शामिल है।ऐसे मामलों में, किशोरवय को पुन: दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति से नहीं कहना, भाग जाना और करीबी लोगों जिन पर वे विश्वास करते हैं, को घटना की जानकारी देना के तीन चरणों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

अपराधों से बच्चों के संरक्षण के बारे में कानून
अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012

बच्चे : इस अधिनियम के भीतर एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु वाले कोई व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है

अपराधों का सारांश			
अपराध	**अपराधियों का प्रकार**	**कार्यकलाप के प्रकार**	**सजा**
पेनीट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट	कोई भी	बच्चे के साथ पेनीट्रेशन का कोई भी रूप या अपराधी या किसी और के साथ पेनीट्रेशन के लिए बच्चे को मजबूर करना	7 वर्ष तक का आजीवन कारावास और जुर्माना
एग्रीवेटिड पेनीट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट	• पुलिस अधिकारी • सशस्त्र बल • धार्मिक संस्था का प्रबंधन या कर्मचारी • बच्चों को सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान का प्रबंधन या कर्मचारी • सार्वजनिक सेवाएं	• सामूहिक पेनीट्रेशन • एचआईवी से ग्रसित करना • गर्भाधान करना • शारीरिक या मानसिक अशक्तयता का लाभ उठाना	10 वर्ष तक का आजीवन कारावास और जुर्माना
यौन हमला	कोई भी	यौन हमला इनके अलावा या बिना पेनीट्रेशन किए अन्य सभी कृत्यों को शामिल करता है जो यौनिक आशय से किए जाते हैं	3-5 वर्ष का कारावास और जुर्माना
एग्रीवेटिड सेक्सुअल असॉल्ट	एग्रीवेटिड पेनीट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट	एग्रीवेटिड पेनीट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट	5-7 वर्ष का कारावास और जुर्माना
यौन उत्पीड़न	कोई भी	जब कोई व्यक्ति यौन आशय से यौन उत्पीड़न करता है: • यौन प्रयोजन से कोई कृत्य करना • बच्चे से उसका शरीर प्रदर्शित करवाना • बच्चे को अश्लील साहित्य दिखाना • बार-बार पीछा करना	3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करना	कोई भी	• बच्चे की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना • बच्चे का उपयोग वास्तविक या आभासी लैंगिक कृत्यों में करना (पेनीट्रेशन के साथ या उसके बिना) • बच्चे का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना	पहली बार अपराध के लिए: 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दूसरी बार या पश्चातवर्ती अपराधों के लिए: 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
बाल अश्लील साहित्य में सीधे भाग लेना	कोई भी	• यौन हमला • पेनीट्रेशन लैंगिक हमला • यौन उत्पीड़न • एग्रीवेटिड असॉल्ट	किए गए यौन अपराध के आधार पर आजीवन कारावास और जुर्माना
बाल अश्लील साहित्य का भंडारण	कोई भी	व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए भंडारण	3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
उकसावा	कोई भी	• उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसावा देना • उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य् व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ शामिल होता है • उस अपराध को करने के लिए किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है	किसी कृत्य के उकसावे का अर्थ होगा उस कृत्य के लिए दंड
अपराध की कोशिश		• इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करने का प्रयास करना • ऐसा अपराध करने के कारण बनाना • अपराध के लिए कोई कृत्य करना	अपराध की कोशिश के लिए कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा
अपराध की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफलता	कोई भी		6 माह तक का कारावास और जुर्माना
अपराध की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफलता	किसी संस्था का अध्यक्ष		1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
मीडिया द्वारा उल्लंघन		• बच्चे की पहचान या कोई अन्य सूचना जिनसे बच्चे की पहचान प्रकट होती हो, की रिपोर्टिंग	6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
झूठी सूचना उपलब्ध कराना या झूठा मुकदमा करना	18 वर्ष से अधिक की आयु वाला कोई भी	• अपमानित करने, धमकाने, मानहानि करने या उगाही करने के आशय से झूठी सूचना उपलब्ध कराना या झूठा मुकदमा करना	1 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना (यदि यह एक बच्चा है तो कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा)

व्यक्तियों और संस्थानों का उत्तरदायित्व

किसको	उत्तरदायित्व
मीडिया	**इस एक्ट के तहत किये गये अपराध का कोई सबूत का रिपोर्ट करना**
सार्वजनिक निकाय	**इस एक्ट के तहत किये गये अपराध का कोई सबूत का रिपोर्ट करना**
सेवा प्रदाता	**इस एक्ट के तहत किये गये अपराध का कोई सबूत का रिपोर्ट करना**
संस्थान	**इस एक्ट के तहत किये गये अपराध का कोई सबूत का रिपोर्ट करना**

व्यक्तियों और संस्थाओं (मीडिया, सार्वजनिक निकाय, सेवा प्रदाता, संस्थान्) की जिम्मेदारी है कि इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध के किसी भी साक्ष्य की रिपोर्ट करना।

प्रक्रिया

- स्पेशल जूवेनाइल जस्टिस यूनिट (SJPU) या स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करना। पुलिस द्वारा प्रविष्टि संख्या के साथ लिखित रूप में रिपोर्ट दर्ज करना
- बच्चे को बाल कल्याण समिति समक्ष पेश किया जाना
- आवश्यकता पड़ने पर अनुवादक उपलब्ध कराया जाएगा
- यदि बच्चे को देखरेख या संरक्षण की आवश्यकता है- तो 24 घंटे के भीतर संरक्षण गृह या अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और अदालती परीक्षण के लिए एकत्र किए गए नमूनों को शीघ्र अतिशीघ्र न्यायिक प्रयोगशाला में भेजा जाता है
- ऐसी आपातकालीन चिकित्सा सेवा जिसमें बच्चे की निजता सुरक्षित रहे, और बच्चे के माता-पिता या अभिभावक या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की, जिसमें बच्चे का भरोसा एवं विश्वास है, उपस्थिति में प्रदान की जाएगी।
- बच्चे को आपातकालीन चिकित्साव सेवा प्रदान करने वाला कोई चिकित्सक, अस्पताल या अन्य चिकित्सा् सुविधा केंद्र इस तरह की देखभाल प्रदान करने के लिए पहली आवश्यकता के रूप में किसी भी कानूनी या न्यायिक अधिकारी के अधिग्रहण या अन्ये दस्तावेज़ की मांग नहीं करेगा।
- 24 घंटे की अवधि के भीतर विशेष न्यायालय को रिपोर्ट की जानी चाहिए
- इस तरह की सूचना की रिपोर्ट प्राप्ति करने पर विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को तत्काल निम्नलिखित विवरण देगी:-
  - अपना नाम और पदनाम
  - पता और टेलीफोन नम्बर;
  - उस अधिकारी का नाम, पदनाम और सम्पर्क विवरण जो सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी का निरीक्षण करता है

विशेष प्रावधान/सिद्धांत

1. यदि किसी महिला पीड़ित की चिकित्सीय परीक्षा आवश्यक है तो यह किसी महिला डाक्टार द्वारा ही की जाएगी ।
2. सभी चिकित्सीय परीक्षाएं तत्काल और बच्चे के वकील (बच्चे द्वारा चुने गए या पक्ष में नामित व्यक्ति) की उपस्थिति में होनी चाहिए।
3. कथन बच्चे के वकील (बच्चे द्वारा चुने गए या पक्ष में नामित) के साथ अभिलिखित किए जाने चाहिए।
4. कथन गैर वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाने चाहिए।
5. बच्चे के परिवार (कुटुंब) या संरक्षक को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अपनी पसंद का विधिक काउंसेल (वकील) उपलब्ध कराना।
6. बच्चे के परिवार या संरक्षक को परामर्श प्रदान करना और उन व्यक्तियों से सम्पर्क करने में उनकी सहायता करना जो ऐसी सेवाएं और सहायता उलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं।

7. उपयुक्त मामलों में विशेष अदालत प्रथम सूचना रिपोर्ट को पंजीकृत करने के बाद किसी भी स्तर पर राहत या पुनर्वास हेतु बच्चे की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी ओर से या दाखिल किए गए आवेदन की ओर से या बच्चे के हित में अंतरिम प्रतिपूर्ति का आदेश पारित कर सकती है। अंतरिम प्रतिपूर्ति राशि कुल प्रतिपूर्ति, यदि कोई है, से समायोजित की जाएगी।
8. विशेष अदालत अपनी ओर से या दाखिल किए गए आवेदन की ओर से या पीड़ित के हित में **प्रतिपूर्ति पंचाट** की सिफारिश कर सकता है जहां आरोपी को दोषी ठहराया गया है, या जहां वाद दोषमुक्ति या सेवोन्मुक्त करने में समाप्त हो गया है, या आरोपी का पता नहीं चल पाया है या उसकी पहचान नहीं हो पायी है, और विशेष अदालत के विचार में बच्चे को उस अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान या क्षति उठानी पड़ी है।

बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय समिति इस कानून के क्रियान्वनयन की निगरानी करेगी

बाल यौन दुर्व्यवहार के मुद्दे का समाधान करने में मीडिया के लिए एनएचआरसी (NHRC) के दिशानिर्देश

- मीडिया को बाल यौन दुर्व्यवहार के मुद्दे को सार्वजनिक ज्ञान और सार्वजनिक बहस के दायरे में लाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि यौन दुर्व्यवहार के मुद्दों को अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत किया जाए, न कि केवल बच्चों के खिलाफ एक अपराध के रूप में।
- संवेदनशील एवं सार्थक मंसूबों और मुद्दों की कवरेज के माध्यम से मीडिया को बाल यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं पर नैतिक रोष और घृणा की भावना पैदा करने में सहायक होना चाहिए। मीडिया को तथ्यों, संदर्भ और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए भी सचेत रहना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मुद्दों की रिपोर्ट घटना के साक्षी माने जाने वाले व्यक्तियों के साथ सतही साक्षात्कार के आधार पर दाखिल नहीं की जानी चाहिए।
- मीडिया को बाल दुर्व्यवहार की किसी विशिष्ट घटना को सनसनीखेज बनाने या बढ़ा चढ़ाकर कहने के प्रलोभन से बचना चाहिए।
- जब मीडिया यौन दुर्व्यवहार की किसी घटना की खबर देता है तो इसे बाद में संबंधित अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही की भी खबर देनी चाहिए और तब तक खबर देना जारी रखना चाहिए जब तक दुर्व्यवहार करने वालों को दंडित करने की कार्यवाही नहीं कर ली जाती।
- मीडिया को अपराधी को बहुत अधिक प्रमुखता देकर यौन दुर्व्यवहार के कृत्यत का अनजाने में गुणगान नहीं करना चाहिए।
- पीड़ित को आगे और उत्पीड़ित या मानसिक आघात का फिर से अनुभव नहीं कराया जाना चाहिए जिससे वह गुजर रही है/रहा है।
- किसी भी परिस्थिति में मीडिया को पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए। जहां कहीं भी पीड़ित अपने अनुभव बयां करता/करती है वहां तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। पीड़ित, रिश्तेदारों और संबंधित व्यक्तियों को भी गोपनीयता का आश्वासन दिया जाना चाहिए।
- मीडिया को चित्र या संकेत द्वारा बच्चे की लैंगिकता में कामुक रूचि नहीं पैदा करनी चाहिए।
- बच्चे को एक निष्क्रिय वस्तु के रूप में नहीं समझना चाहिए।
- बाल यौन दुर्व्यवहार की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के अलावा, मीडिया को जनता को कानूनी या अन्य उपायों के बारे में जानकारी उपलब्ध् कराने सहित यह समझाने की भी जरूरत है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है और क्या आवश्यकताएं हैं और यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्यो किया जाना चाहिए।
- मीडिया को अपने लक्षित श्रोताओं को बाल यौन दुर्व्यवहार के रूप में होने वाले मामले की दुर्भाग्यापूर्ण घटना में बाल अधिकारों और बच्चे के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
- मीडिया को एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है जिसमें दर्शक/श्रोता प्रसारित एवं टेलीकास्ट किए जा रहे कार्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रभाव पर टिप्पणी/ मूल्यांकन कर सकें।
- मीडिया को बाल यौन दुर्व्यवहार की रोकथाम के बारे में बेहतरीन कार्यप्रणालियों, दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ की गयी कार्यवाही, चुनिंदा एनजीओं के कार्य आदि का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए।
- सभी खबरों में, मीडिया को बाल अधिकार महासंधि में अपेक्षित रूप में बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत के लिए सतर्क रहना चाहिए।

© Breakthrough/India

मॉड्यूल IV : बालिकाओं को अहमियत देना

सत्र

9

60 मिनट

सामुदायिक सदस्यों के रूप में महिलाओं का योगदान

आवश्यक सामग्री

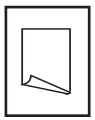

फ्लिप चार्ट

मार्कर पेन

संलग्नक- संलग्नक 6: समाज में महिलाओं का योगदान की प्रति से अच्छी तरह से निकली गई कागज की पर्ची के तीन टुकड़े

उद्देश्य:

- यह जांच करना कि समाज बेटियों और बेटों को अलग अलग अहमियत क्यों देता है
- समाज में लड़कियों के लिए अधिक अहमियत बनाने के तरीकों की पहचान करना

सशक्तिकरण केंद्र: मनोवैज्ञानिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; सामाजिक-सांस्कृतिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र शीर्षक के साथ उद्देश्यों की घोषणा करें।
- चार्ट पेपरों को कमरे के दो अलग अलग कोनों में रखें और उन्हें क्रमश: 'बेटे की अहमियत' और 'बेटी की अहमियत' के रूप में शीर्षक दें
- सभी सहभागियों से संबंधित चार्ट पेपरों तक जाने और उन पर बेटों और बेटियों को परिवारों में अहमियत दिए जाने का कम से कम एक कारण लिखने के लिए कहें।
- इस नियत कार्य के लिए सभी सहभागियों को 10-12 मिनट का समय दें और इसके बाद सहभागियों द्वारा लिखे गए कारणों को जोर से पढ़ें।
- इस सत्र योजना के तहत उल्लेख किए गए प्रश्नों की चर्चा के साथ आगे की कार्यवाही करें।
- इसके बाद सहभागियों को तीन समूहों में बांटें। प्रत्येक समूह को संलग्नक-

© Breakthrough/India

संलग्नक 6: समाज में महिलाओं का योगदान की प्रति से अच्छी तरह से फाड़ी गयी कागज की पर्ची की सहायता से एक मामला दें।

- उनसे अपने समूहों में नीचे उल्लेख की गयी प्रत्येक कहानी के दोनों प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करने के लिए कहें। उन्हें 15 मिनट का समय दें। यदि आवश्यक हो तो वे लिखित नोट्स बना सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने सौंपे गए नियत कार्य को समझ लिया है, प्रत्येक समूह के पास जाएं। साथ ही चर्चा में योगदान करने के लिए चुप बैठे सहभागियों को प्रोत्साहित करें।
- इसके बाद, प्रत्येक समूह से पास आने और प्रत्येक मामले के दोनों प्रश्नों पर अपने विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कहें।
- उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों को फ्लिप चार्ट पर लिखते रहें और उनके सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें धन्यवाद दें। उत्तरों को दो अलग अलग वर्गों - महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां और चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यनक गुण, में लिखा जा सकता है।
- सत्र समाप्त करने से पहले प्रमुख बिन्दुओं का सार प्रस्तुत करें।

2 चर्चा के प्रश्न :

- लड़कियों और लड़कों को चाहने का सामान्य कारण क्या है?
- बेटी या बेटा में से किसे लिखना आसान था?
- क्या पुरुष समाज में लड़कियों की स्थिति को बदलने और उनकी अहमियत में वृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं? लड़कों/पुरुषों सहित सभी लोगों को इससे कैसे लाभ होगा?
- क्या सभी समुदायों के लिए स्थिति हमेशा से ऐसी ही थी? यह कब बदली और क्यों ?
- लड़कियों और लड़कों दोनों पर इस भेदभाव का क्या प्रभाव पड़ता है?
- आपके हिसाब से हम इस स्थिति को कैसे बदल सकते हैं और लड़कियों एवं लड़कों दोनों के साथ समान बर्ताव सुनिश्चित कर सकते हैं?

3 अनुदेशक के नोट्स :

समाज महिलाओं (बेटियों) और बेटों (पुरुषों) को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अहमियत देता है। हालांकि महिला/लड़की के जीवन से जुड़ी अहमियत बहुत कम होती है, फिर भी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। ये प्रयास उन लड़कियों और महिलाओं के साथ स्वयं शुरू किए जा सकते हैं जो साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी परिचित घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। **पुरुष और लड़के भी उनका बिना शर्त समर्थन करके स्थिति को बदल सकते हैं।** ये अहमियत आमदनी, कार्यवाही और योजना के साथ समाज सुधारों पर कार्य करने और सहायता समूहों के गठन के रूप में हो सकती हैं। कुछ मामलों में इसका अर्थ मौजूदा कानूनी और सामिजक सहयोग व्यवस्था की मदद के ज़रिये दहेज की मांग और पैतृक संपत्ति में हिस्सा न होने जैसी कुप्रथाओं से लड़ने के लिए साहस होना होता है।

इन प्रयासों का परिवार और समाज के अन्य सदस्यों द्वारा बाद में व्यापक स्तर पर समर्थन किया जा सकता है। यह स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, राय आदि के लिए महिलाओं की जरूरतों पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में मदद करेगा।

सत्र

10

60 मिनट

महिलाओं की घटती संख्या और इसका प्रभाव

आवश्यक सामग्री

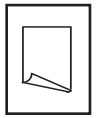

फ्लिप चार्ट

मार्कर पेन

संलग्नक- संलग्नक 7: महिलाओं की घटती संख्या और इसका प्रभाव तथा संलग्नक- संलग्नक 8: सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण की प्रतियां

उद्देश्य:

- लैंगिक पक्षतापूर्ण लिंग चयन की प्रथाओं के कारण सामाजिक क्षति की पहचान करना।
- सहभागियों को पूर्व गर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 के बारे में जानकारी प्रदान करना
- विशेष रूप से बाल विवाह के संदर्भ में, विवाह पर महिलाओं की घटती संख्या के प्रभाव की पहचान करना।
- बाल विवाह, लैंगिक पक्षतापूर्ण लिंग चयन, दहेज तथा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ दुर्व्यवहार/हिंसा को समाप्त करने के लिए सहभागियों को शपथ दिलाना।

सशक्तिकरण केंद्र: मनोवैज्ञानिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; सामाजिक-सांस्कृतिक; आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र शीर्षक के साथ उद्देश्यों की घोषणा करें।
- सहभागियों को तीन समूहों में बांटें और संलग्नक - संलग्नक 7: महिलाओं की घटती संख्या और इसका प्रभाव की प्रतियां वितरित करें।
- उनसे केवल पहला भाग: 'केस अध्ययन 1: सुजाता की कहानी' को पढ़ने एवं समझने और अपने समूहों में कहानी में उल्लेख किए गए प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करने के लिए कहें। चर्चा के लिए 15 मिनट का समय दें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें लिखित नोट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने सौंपे गए नियत कार्य को समझ

लिया है, प्रत्येक समूह के पास जाएं। साथ ही चर्चा में योगदान करने के लिए चुप बैठे सहभागियों को प्रोत्साहित करें।

- अब, प्रत्येक समूह से आगे आने और मामले के सभी चारों प्रश्नों पर अपने विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कहें।
- इसके बाद, सहभागियों से दूसरा भाग: 'केस अध्ययन 2: पियासो की कहानी' पढ़ने के लिए कहें।
- इस सत्र योजना के तहत उल्लेख किए गए प्रश्नों की चर्चा के साथ आगे की कार्यवाही करें।
- दोनों केस अध्ययनों पर आधारित समूह प्रस्तुतियों और चर्चा के विचारों का उपयोग करके बाल विवाह की बढ़ती घटनाओं के साथ संबंधित लिंग चयन की कुप्रथाओं द्वारा सत्र का सार प्रस्तुत करें। दूसरे केस अध्ययन में उपलब्ध सफलता की कहानी पर प्रकाश डालें जहां दुल्हनों की कमी के कारण बाल विवाह की एक घटना को रोकने के लिए नेताओं के साथ-साथ पूरा समुदाय संगठित हुआ था।
- समापन की ओर बढ़ते हुए, पूरे मॉड्यूल में सहभागियों की सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें धन्यवाद दें और संलग्नक- संलग्नक 8: सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण की प्रतियां वितरित करें।
- अंत में, सहभागियों से आपके बाद शपथ आलेख पढ़ने के लिए कहते हुए सहभागियों को 'यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, लैंगिक पक्षतापूर्ण लिंग चयन, दहेज तथा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ दुर्व्यवहार/हिंसा को समाप्त करना' की शपथ दिलाएं।

2 चर्चा के प्रश्न :

- क्या आप अपने पड़ोस में या अपने खुद के परिवार में दोनों कहानियों से मिलत जुलते किसी मामले से अवगत हैं?
- क्या आप लैंगिक पक्षतापूर्ण लिंग चयन से संबंधित कोई कानून जानते हैं?
- क्या आप किसी ऐसे संगठन को जानते हैं जो इन परिस्थितियों का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता करता है? आपके अनुसार वे किस प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं?
- क्या आपको लगता है कि लैंगिक पक्षतापूर्ण लिंग चयन से संबंधित कानून के बारे में हर किसी को जानना चाहिए?
- क्या? होगा यदि महिलाओं की संख्या समय के साथ लगातार घटती जाए? यह समाज को किस तरह से प्रभावित करेगा?
- चुनिंदा क्षेत्रों में दुल्हनों की कमी के कारण बाल विवाह की घटनाओं को चुनौती देने के लिए क्या किया जा सकता है?

3 अनुदेशक के नोट्स :

भारत में लिंग निर्धारण परीक्षण की लोकप्रियता का आधार मजबूत पुत्र-वरीयता है जिसे हद तक धर्म, परम्परा और संस्कृति की स्वीकृति प्राप्त है। भारत में बालिकाओं के खिलाफ स्वास्थ्य और पोषण या शिक्षा प्राप्त करने में सतत भेदभाव के रूप में रेखांकित पक्षपात परम्परा में मौजूद है। आजकल की उन्नत तकनीक लिंग चयन की अत्याधुनिक विधियां प्रदान करती है, जिससे जन्म से पहले बालिकाओं की कन्या भ्रूण हत्या के माध्यम से बाल लिंगानुपात में भारी गिरावट आयी है। चिकित्सालय और चिकित्सा् पेशेवर सिर्फ दो दशक पहले "अभी केवल 500 रुपये खर्च करें, बाद में 500,000 रुपये (दहेज के) बचाएं" जैसी पंक्तियों वाले विज्ञापन का खुल्ल्म खुल्लो उपयोग करके लिंग चयन के उद्देश्य, के लिए इन परीक्षणों का सुझाव देते थे।

भारत की जनगणना, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिला है। यह 2001 में 927 से कम है। इससे चिंताजनक परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं, जिनमें से कुछ को मीडिया द्वारा विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है। उदाहरण- गुजरात-राजस्थान की सीमा पर स्थित डांग जिले में, एक ही परिवार के 8 भाइयों का विवाह एक ही दुल्हन के साथ किया गया क्योंकि इस क्षेत्र में पत्नी मिलना बहुत ही मुश्किल है- (सितम्बर 2001, इंडिया टुडे)। जैसलमेर जिले के देवरा गांव को 1997 में 110 वर्षों बाद एक बारात आने का गौरव प्राप्त है- (द पायनियर, 28 अक्टूबर, 2001)

पूर्व गर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 लिंग चयन, पूर्व या पश्चात गर्भधारण को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीक के दुरूपयोग को रोकना है जो भ्रूण के लिंग की पहचान करने में सक्षम बनाती है।

पीसी (PC) और पीएनडीटी (PNDT) अधिनियम क्या कहता है?

- लिंग चयन और लिंग निर्धारण निषिद्ध है।
- पूर्व नैदानिक प्रक्रियाओं का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति शब्दों, संकेतों या किसी भी अन्य तरीके से संबंधित गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को गर्भ के लिंग के बारे में सूचित नहीं करेगा।
- अल्ट्रासाउंड करने वाले सभी क्लीनिक पंजीकृत होने चाहिए और केवल अधिनियम के तहत अर्हता प्राप्त डाक्टर ही अल्ट्रासाउंड जैसी नैदानिक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं।
- सभी क्लीनिकों को निम्नलिखित सूचना: 'भ्रूण के लिंग का प्रकटीकरण कानूनन वर्जित है': प्रमुखता से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में प्रदर्शित करना चाहिए।
- किसी भी रूप में लिंग निर्धारण परीक्षण का विज्ञापन करने वाले डाक्टर या क्लीनिक सजा के उत्तरदायी हैं।

© Breakthrough/India

संलग्नक

संलग्नक 1

मानव अधिकार क्या हैं?

मानव अधिकार वे बुनियादी बातें हैं जिनके बिना लोग सम्मान के साथ नहीं रह सकते। किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन करना ऐसा व्यवहार करना है कि व्यक्ति मानो महिला या पुरुष, मनुष्य नहीं थे।लैंगिक भेदभाव तब होता है जब लड़के या लड़कियों को अपने मानव अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने और लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए जब लड़कियों से घर की देखभाल या विवाह करने के लिए कम उम्र में ही स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाता है। जबकि उसी परिवार में लड़कों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है क्योंकि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कमाई करेगा। समाजीकरण की प्रक्रिया महिलाओं और पुरुषों दोनों के अपने अधिकारों का उपयोग करने के तरीके को प्रभावित करती है।

मानव अधिकारों के बारे में जानने के लिए हम सम्मान, निष्पक्षता, न्याय और समानता के विचारों के बारे में शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम अपने स्वयं के अधिकारों का समर्थन करने और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में भी सीखते हैं।

मानव अधिकारों के अंतर्गत करीब 30 अनुच्छेद हैं जिनपर दुनिया भर के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पर हस्ताक्षर करके सहमति व्यक्त की है। किशोरवय के मामले में लागू अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण अधिकारों में शामिल हैं:

1) जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार
2) यातना से मुक्ति
3) निष्पक्ष सुनवाई
4) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
5) धर्म की स्वतंत्रता
6) स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-यापन का समुचित मानक

सरकारों की विशेष जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि लोग अपने अधिकारों का लाभ उठाने में सक्षम हों। वे उन कानूनों और सेवाओं की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं जो अपने नागरिकों को जीवन जिसमें उनके अधिकारों का पालन किया जाता है, का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं।

हमारी अन्य लोगों और समुदायों के प्रति भी जिम्मेदारियां और कर्तव्य हैं। व्यक्तियों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि वे दूसरे के अधिकारों के लिए यथोचित आदर के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करता है, तो उन्हें किसी को नीचा दिखाने के लिए भड़काऊ भाषण देकर या अभद्र भाषा का प्रयोग करके किसी और के सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

मानव अधिकार समाज में, परिवार, समुदाय, शैक्षिक संस्थानों, कार्यस्थलों में, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सभी स्तरों पर दूसरों के साथ लोगों के बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। इसलिए हर जगह के लोगों को न्यासय, समानता, और समाज की भलाई को सुनिश्चित करने के क्रम में मानव अधिकारों को समझने का प्रयास करना चाहिए, जो अत्यावश्यक है।

संलग्नक 2

बाल विवाह में मानव अधिकारों का उल्लंघन

Please photocopy and cut the grey line

समूह 1: स्वास्थ्य और बाल विवाह

राजू, एक 20 वर्षीय लड़का है जो छत्तीसगढ़ में ईंट भट्ठा मजदूर के रूप में कार्य करता है। वह बिहार में एक दूर के गांव में रह रहे अपने गरीब परिवार की सहायता के लिए कार्य करता है। उसके मजदूर साथियों ने उसे कुछ सस्ते मादक पदार्थों का सेवन करना सिखा दिया। इन मादक पदार्थों ने उसकी गृहातुरता (होमसिकनेस) और इतनी कम उम्र में अपने परिवार की सहायता करने के मानसिक बोझ से उबरने में उसकी मदद की। उसने काम के कारण अपने साथियों के साथ सुइयों से लिए जाने वाले ड्रग का इस्तेमाल शुरू कर दिया।

अगली बार अपने घर पहुंचने पर, उसके परिवार वालों ने लड़की पक्ष से दहेज लेकर राजू की शादी कर दी। 15 वर्षीय दुल्हन मीना उसी गांव में रहती थी। अगले वर्ष 16 वर्ष की उम्र में, मीना ने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी गर्भावस्था के दौरान, उसे उचित भोजन या स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पायी। अधिकांश समय राजू काम करने के लिए घर से दूर रहता था। हालांकि वह कभी-कभी घर आता था लेकिन उसे नियमित रूप से पैसे नहीं भेज सका। वह बहुत ही कष्टमय गर्भावस्थां में थी और प्राय: बहुत कमजोर और बीमार रहती थी। फिर, कम वजन वाले और कुपोषित बच्चे का जन्म हुआ।

अगले कुछ महीनों के भीतर, मीना को बार बार बुखार, चकत्ते, बहुत ज्या्दा थकान महसूस होने लगी और उसकी गर्दन के आस-पास सूजन आ गयी। वह एक डाक्टर के पास गयी जिसने रक्त की जांच कराने की सलाह दी; परिणाम से पता चला कि वह एचआईवी से ग्रस्त थी।

जब राजू के माता-पिता को पता चला, तो उन्होंने उसके बच्चे के साथ-साथ उसे भी अपने से दूर कर दिया और बीमारी के लिए उसके चरित्र को दोषी ठहराया। इस समय तक उसकी बच्ची भी अक्सर बीमार रहने लगी। राजू भी गंभीर रूप से बीमार हो गया और अपने परिवार को एड्स से ग्रस्त करने के अपराधबोध के साथ अपने अंतिम दिनों तक कष्ट उठाता रहा।

अपने समूह में निम्ना की चर्चा करें:

1) यहां किन मानव अधिकारों को उल्लंघन किया गया है और कैसे?

2) राजू पर इन उल्लंघनों का क्या प्रभाव पड़ा?

Please photocopy and cut the grey line

समूह 2: विकल्प/निर्णय लने का अधिकार और बाल विवाह

प्रतिम और रमा बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक ही गांव में रहते हैं जो शहर के करीब है। रमा ने स्कूल में हर वर्ष बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जब उसे नौवीं कक्षा के लिए पास कर दिया गया, तो उसके पिता ने उसकी मां की इच्छा के विरूद्ध उसे एक मोबाइल फोन उपहार में दिया। रमा ने मोबाइल फोन का उपयोग करके अंग्रेजी कोचिंग क्लास के अपने दोस्तों के साथ बार-बार चैटिंग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, उसके पिता को अपने दोस्तों के साथ उसका "आजाद" रहना बुरा लगने लगा।

एक दिन, उसने देखा कि उसके माता-पिता ने उसके लिए एक दूल्हा देखना शुरू कर दिया है। उसने उनसे कहा कि वह शादी करने के बजाय अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। लेकिन उसके पिता असहमत थे क्यों कि उन्हें लग रहा था कि उसका संबंध एक ऐसे लड़के से है जो उनकी जाति का नहीं है। इसलिए, वह जिद् कर रहे थे कि रमा की शादी उस व्यक्ति से होनी चाहिए जिसे उन्होंने शुभचिंतक पिता के रूप में चुना है।

अगले दिन, अपने स्कूल जाने के रास्तें में, वह प्रतिम से मिली और उसे वह सब कुछ बताया जो उसके पीछे घर में हो रहा था। रमा और प्रतिम दोनों उस दिन स्कूल न जाकर एक साथ एक पार्क चले गए और वहां उसकी समस्यां के लिए संभावित समाधानों पर बात की। वापस रास्ते में, वे रमा के पिता से मिले जो अपनी बेटी को प्रतिम के साथ देखकर आगबबूला हो गए।

रमा उस दिन से अपने घर वापस नहीं आयी! रमा के पिता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया है मगर वे जानते थे कि यह एक झूठा आरोप है। बाद में, उन्हें खबर मिली कि रमा ने प्रतिम से शादी कर ली है और उसके माता-पिता के साथ उसके घर में रह रही है जिन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। गुस्से में रमा के पिता अपने इलाके से कुछ प्रभावशाली लोगों को वहां ले गए और प्रतिम को शारीरिक रूप से बुरी तरह से पीटा। घटना के बावजूद भी, रमा वापस घर नहीं आयी और प्रतिम के साथ ही रहना जारी रखा। वस्तुत: उसने पुलिस को बताया कि उसको अगवा नहीं किया गया था और शादी करने के लिए उसने प्रतिम को स्वयं चुना था।

अब, प्रतिम जीवन के खतरे का सामना कर रहा है जो रमा के परिवार के सदस्यों और समुदाय के हाथों में हैं।

अपने समूह में निम्न की चर्चा करें:

1) यहां किन मानव अधिकारों को उल्लंघन किया गया है और कैसे?

2) प्रीतम पर इन उल्लंघनों का क्या प्रभाव पड़ा?

समूह 3: शिक्षा, रोजगार और बाल विवाह :

18 वर्षीय **तरुण** बहुत मेहनती था और खेतों में अपने परिवार की सहायता करता था। परिवार को कर्ज से छुटकारा दिलाने के क्रम में, उसके माता-पिता ने दहेज लेकर श्रेया नाम की लड़की से उसकी कम उम्र में शादी कर दी। 15 वर्षीय श्रेया अत्यंत बुद्धिमान थी इस कारण स्कूल में उसे बहुत अच्छे अंक मिलते थे। उसके दो भाई थे, वे दोनों स्कूल और ट्यूशन कक्षाओं में भी जाते थे।

शादी के बाद, श्रेया अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन तरुण के माता-पिता की ओर से ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। अगले तीन वर्षों के भीतर, उसने दो बच्चों को जन्म दिया। धीरे-धीरे तरुण के परिवार ने अपनी गिरवी भूमि को खो दिया और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गयी। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए किसी भी तरह से परिवार की आय में योगदान करने के लिए श्रेया को मजबूर करना शुरू कर दिया। इन समस्याओं को हल करने की कोशिश में, श्रेया ने पास के एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद के लिए आवेदन किया। अफसोस! वह नौकरी नहीं पा सकी क्योंकि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा दस पास थी।

अपने समूह में निम्न की चर्चा करें:

1) यहां किन मानव अधिकारों को उल्लंघन किया गया है और कैसे?

2) तरुण और श्रेया पर इन उल्लंघनों का क्या प्रभाव पड़ा?

3) यदि श्रेया ने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की होती तो, यह उनके जीवन में क्या फर्क लाया होता?

Please photocopy and cut the grey line

समूह 4: हिंसा और बाल विवाह :

मध्य आयु वर्ग का आदमी **प्रकाश** अपनी छोटी बहन राधा को बहुत अधिक प्यार करता है, जो अब 15 वर्ष की है। वे अपने परिवार के साथ एक दूर के गांव में रहते थे। एक दिन प्रकाश ने अपनी बहन राधा की सबसे अच्छी सहेली मिनी के साथ ट्यूशन से घर वापस आते समय हुए बलात्कार की घटना के बारे में सुना। अपनी बहन के लिए इसी तरह के दुर्भाग्य से बचने के क्रम में, प्रकाश ने एक दूल्हे जो राधा से 14 वर्ष बड़ा था, से उसकी तुरंत शादी करने के लिए अपने पिता को परेशान किया। प्रकाश की यह धमकी कि अगर उसकी अच्छी सहेली 'मिनी' की तरह ही उसका भी यही हस्र हुआ तो वह खुद जान दे देगा क्योंकि समाज का सामना करने में यह उसके लिए बहुत ही अपमानजनक होगा, के बाद उसके पिता सहमत हो गए।

शादी होने के बाद, उसके सास-ससुर ने राधा के काले रंग-रूप के मुआवजे के रूप में उससे पहले ही दिन अपने साथ 30,000 रुपये लाने के लिए कहा। इसके अलावा उससे सुबह से लेकर देर रात तक घर के सभी काम कराए जाते थे। उसे सभी लोगों के सो जाने के बाद ही सोने की अनुमति दी गयी थी। उसे पर्याप्त भोजन भी नहीं देते थे क्योंकि उसके पति के परिवार को हर बार दहेज नहीं मिल सका जिसकी वे अपेक्षा करते थे। वह अपने पति से बात करने में असमर्थ थी क्योंकि वह उससे उम्र में बहुत बड़ा था। बार बार अनुरोध के बावजूद भी उसके पति ने उसे पैसा देने से मना कर दिया। वह अपने अस्नेही पति के साथ उसकी इच्छार अनुसार यौन संबंध बनाने में भी बहुत असहज महसूस करती थी।

राधा चुप रही और अपने संघर्ष के बारे में प्रकाश को तब तक नहीं बताया जब तक उसे यह पता नहीं चला कि उसके पति का साथ में काम कर रहे एक अन्य साथी के साथ संबंध है। प्रकाश अपनी बहन के दुर्भाग्य को सुनकर टूट गया!

अपने समूह में निम्न की चर्चा करें:

1) यहां किन मानव अधिकारों को उल्लंघन किया गया है और कैसे?

2) प्रकाश पर इन उल्लंघनों का क्या प्रभाव पड़ा?

Please photocopy and cut the grey line

संलग्नक **3**

घरेलू हिंसा से निपटना

यहां दी गयी कहानी पढ़ें और अपने समूह में चर्चा करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें :

25 वर्षीय नीना अपने पति और सास-ससुर के साथ रहती है। परिवार में उसकी शादी पांच वर्ष पहले हुई थी और उसके बाद से वह अकेले ही घर का सारा काम-काज संभाल रही है। प्रसाद, उसका पति, अपने पिता के साथ एक दुकान चलाता है जबकि उसकी सास घर पर ही रहती है। प्रसाद शुरू से ही कभी भी नीना के प्रति शिष्ट और स्नेही नहीं रहा। हाल ही में, उसने अपना आपा खोना शुरू कर दिया जहां वह अंतत: तुच्छ कारणों के लिए नीना को पीटने भी लगा जैसे कि खाना पर्याप्त गर्म नहीं परोसा गया, नीना को पड़ोसियों से बात करते हुए देखने पर, या उसके कपड़े अच्छी तरह से इस्त्री नहीं हुए। यदि नीना मामलों पर सहमत नहीं होती या उससे कारण जानने की कोशिश करती तो उसकी हिंसा और तीव्र हो जाती।

नीना के प्रति प्रसाद की हिंसक प्रवृत्ति ने उसके तीन वर्षीय पुत्र राघव में भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर दिए। अब वह शांत रहने लगा है, असामाजिक हो गया है और अत्यधिक शर्म प्रदर्शित करता है। वह बुरे सपनों से भी ग्रस्ती है और दूसरे बच्चों तथा परिवार के सदस्यों के प्रति आक्रामक रवैया दर्शाता है।

प्रसाद के ये हिंसक कृत्य अधिक तीव्र होत जा रहे हैं और नीना यह नहीं जानती है कि इससे खुद की और अपने बच्चे की सुरक्षा कैसे करें। उसे लगता है कि उसके सास-ससुर हिंसा के बारे में जानते हैं और फिर भी वे अपने बेटे का आंख बंद करके समर्थन करते हैं। वह अपने माता-पिता के साथ इन मुद्दों को साझा करने के लिए अनिच्छुक लगती है जो नीना के संरक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद शांति से रह रहे हैं। कभी कभी नीना को अपने बगल वाली पड़ोसन सीमा के साथ अपने दु:ख बांटने में आराम मिलता है जो उसके साथ सहानुभूति रखती है।

अपने समूह में चर्चा किए जाने वाले प्रश्न :

1) नीना अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कर सकती है? क्यों?
2) अपने पति और सास-ससुर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने से नीना को कौन रोकता है?
3) नीना की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है?
4) नीना के प्रति प्रसाद की हिंसक प्रवृत्ति ने अपने छोटे पुत्र राघव में नकारात्मक प्रभाव क्यों उत्पन्न कर दिए?
5) क्या आपको लगता है कि नीना के खिलाफ हिंसा जायज है? क्या कोई भी स्थिति ऐसी हो सकती है जहां घरेलू हिंसा जायज है? कारण बताएं।
6) क्या नीना के सास-ससुर भी अपने घर में हो रही हिंसा का परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं? क्या आप अपने पड़ोस या अपने खुद के परिवार में इसी तरह के मामलों से अवगत हैं?
7) आप नीना और उसके माता-पिता को कौन सी सलाह देना चाहते हैं?

© Breakthrough/India

घरेलू हिंसा क्या है?

सार्वजनिक या निजी जीवन में होने वाली सामाजिक लिंग आधारित हिंसा को कोई भी कृत्य जिसके परिणामस्वरूप या संभावित परिणामस्वरूप ऐसे कृत्यों के जोखिम, बलात्कार या स्वतंत्रता के अनियंत्रित अभाव सहित महिलाओं को शारीरिक, लैंगिक या मानसिक हानि पहुंचती है या पीड़ित होती हैं। घरेलू हिंसा में शामिल हैं:

- शारीरिक हिंसा
- वैवाहिक बलात्कार
- मनोवैज्ञानिक संकट
- भावनात्मक हिंसा
- आर्थिक हानि-खर्चों के लिए पैसे देने से मना करना
- दहेज संबंधित उत्पीड़न

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा करने वाले भारतीय कानून क्या हैं?

PWDVA या घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 घरेलू हिंसा का सामना करने वाली सभी महिलाओं की सुरक्षा करता है। यह एक नागरिक कानून है और इसके तहत कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है। मां, बेटी, बहन, पत्नी, लिव-इन सहयोगी और आश्रित बच्चे कानून का सहारा ले सकते हैं। महिलाओं की ओर से कोई भी निम्न, लोगों में से किसी के भी साथ घरेलू प्रसंग रिपोर्ट (DIR) दाखिल करके शिकायत कर सकता है:

- जिला स्तर पर तैनात संरक्षण अधिकारी (PO)
- सेवा प्रदाता (SP) या आपके क्षेत्र में काम कर रहे पंजीकृत NGOs
- मजिस्ट्रेट
- वकील
- पुलिस

प्रत्येक मामले की पहली सुनवाई शिकायत दर्ज किए जाने के तीन दिनों के भीतर की जाती है। मामले की अंतिम सुनवाई शिकायत दर्ज किए जाने के 60-90 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए, इसमें असफल होने पर PO को दंड की धारा का सामना करना पड़ता है। PWDVA में पीड़ित महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है जो निःशुल्क चिकित्सा सहायता, सुरक्षित निवास, और अपमान करने वाले साथी से सुरक्षा, बच्चों की निगरानी, नगद मुआवजा एवं रखरखाव और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, ऐसे मामलों से निपटने के लिए आप महिलाओं के लिए टोल-फ्री नेशनल हेल्पलाइन नम्बर 1091 पर फोन कर सकते हैं या अपने क्षेत्र में ऐसे मामलों से निपटने वाले पंजीकृत एनजीओ को सूचित कर सकते हैं।

(यह भी ध्यान दें: आईपीसी- भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत घरेलू हिंसा के मामलों में आपराधिक शिकायत करने का भी प्रावधान है।)

संलग्नक **4**

लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना

यहां दी गयी कहानी पढ़ें और अपने समूह में चर्चा करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:

प्रीती की उम्र 16 वर्ष है और वह अपने माता-पिता एवं तीन बहनों के साथ पास के एक गांव में रहती है। हाल ही में, उसे परेशान करने वाले कुछ पड़ोसी लड़कों के कारण उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लड़के 'प्रीती-प्रीती' कहकर उसका नाम पुकारते रहते हैं और उस पर सीटियाँ बजाते हैं ।वे अश्लील इशारे भी करते हैं जैसे कि फ्लाइंग किस (सांकेतिक चुम्बपन) और गलत समय पर उसे फोन करते हैं। इसके अलावा अपने स्कूल जाने के लिए बस में सवार होते समय वे उसके साथ जाते और वापस रास्ते में उसका पीछा करते हैं। वे उसकी ओर दूर से अश्लील पत्रिका का मुख्य पृष्ठ भी चमकाते हैं।

एक दिन, प्रीती के पिता ने उसकी ओर अश्लील इशारे करने वाले उन लड़कों को पकड़ लिया। तत्काल उन्होंने दूर सुरक्षित स्थान पर प्रीती की शादी करने का फैसला किया। शीघ्र ही, प्रीत की शादी जल्दबाजी में अधिक उम्र वाले एक आदमी से कर दी गयी और उसका स्कूल जाना बंद हो गया। दो वर्ष के भीतर, कई बार गर्भपात होने के बाद ही वह मां बन पायी। वह शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गयी और अक्सर बीमार रहने के कारण पैसे कमाने में सक्षम न होने पर उसके पति ने उसे मारना-पीटना और गाली देना शुरू कर दिया।

आपके समूह में चर्चा किए जाने वाले प्रश्न:

1) प्रीती की आज की स्थिति के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? क्यों
2) पड़ोसी लड़कों ने प्रीती का उत्पीड़न क्यों किया? क्यां यह उसकी गलती थी?
3) कहानी में प्रीती के किन मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया?
4) आपके परिवार के करीबी सदस्यों जैसे कि बहन या चाची में से किसी ने पुरुषों/लड़कों के सार्वजनिक उत्पीड़न का सामना किया है?

खुलेआम यौन उत्पीड़न क्या है?

यह किसी सार्वजनिक स्थान पर पुरुष द्वारा महिला के बारे में अवांछित यौन टिप्पणी करना या प्रस्ताव रखना है। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो महिलाओं और लड़कियों के लिए भारी मानसिक यातना और अपमान का कारण बनता है जब उन्हें सड़क पर या सार्वजनिक परिवहन में प्रताड़ित किया जाता है। यह किसी महिला के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का सीधा अतिक्रमण और जीवित रहने के लिए महिला के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। यह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किया जा सकता है, और यह किसी एक महिला या उनके समूह के लिए किया जा सकता है। यह सामाजिक रूप से अस्वीकृत टिप्पुणी या अश्लील उक्ति का मौखिक कथन भी हो सकता है। यह किसी महिला को स्पर्श करना या उससे शरीर छुआना, उसका पीछा करना या अवांछित टिप्पणी करके उसे असहज महसूस कराना तक भी आगे बढ़ सकते हैं।

खुलेआम यौन उत्पीड़न में शामिल है:

- अश्लील टिप्पणी
- शारीरिक संपर्क और प्रस्ताव
- अश्लील साहित्यण दिखाना
- यौन उपकारों के लिए प्रार्थना या अनुरोध करना
- प्रकृति में यौनिक कोई भी अप्रिय शारीरिक, मौखिक/गैर-मौखिक आचरण करना।

खुलेआम यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा करने वाले भारतीय कानून क्या हैं?

यौन उत्पीड़न संबंधी अपराधों को **भारतीय दंड संहिता (आईपीसी),** की धारा 509, 294 और 354 के तहत पेश किया गया है। पीड़ित निम्न के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:

- आईपीसी की धारा 294, जो अश्लील इशारे, टिप्पणी, गाना या कविता के जरिए किसी लड़की या महिला को मजबूर करने का दोषी पाए जाने वाले पुरुष को अधिकतम तीन महीने के कारावास की सजा का दंड देती है।
- आईपीसी की धारा 292, स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है कि किसी महिला या लड़की को अश्लील या गंदी तस्वीर, किताब या कागजात दिखाने पर पहली बार अपराध करने वालों पर दो वर्ष के कारावास के दंड के साथ साथ 2000 रुपये का जुर्माना किया जाता है। बार बार अपराध करने की स्थिति में अपराधी पर पांच वर्ष के कारावास के दंड साथ साथ 5000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है।
- आईपीसी की धारा 509 के तहत, किसी भी महिला या लड़की की ओर अश्लील हरकत करने, अभद्र भावभंगिमा दर्शाने और नकारात्मसक टिप्पणी करने या ऐसी किसी वस्तु का प्रदर्शन करने जो महिला के निजी दायरे में दखल देती हो, के लिए एक वर्ष के कारावास का दंड या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न करने और व्यक्त अपराध करने में परिवर्तन किया गया जिसमें तीन वर्ष के कारावास और/या जुर्माने का दंड है। संसोधन ने नयी धाराएं भी शामिल की हैं जैसे किसी व्यक्ति द्वारा बिना सहमति के महिला के वस्त्र उतारना, पीछा और यौन कृत्य करना जैसे कृत्य अपराध हैं।
- कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अधिकांश कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

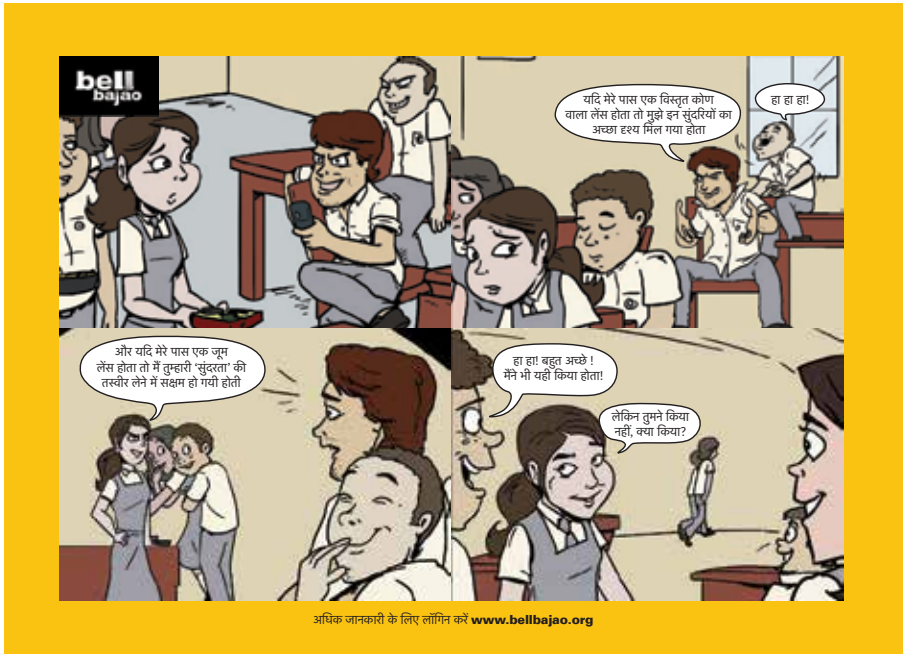

अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें **www.bellbajao.org**

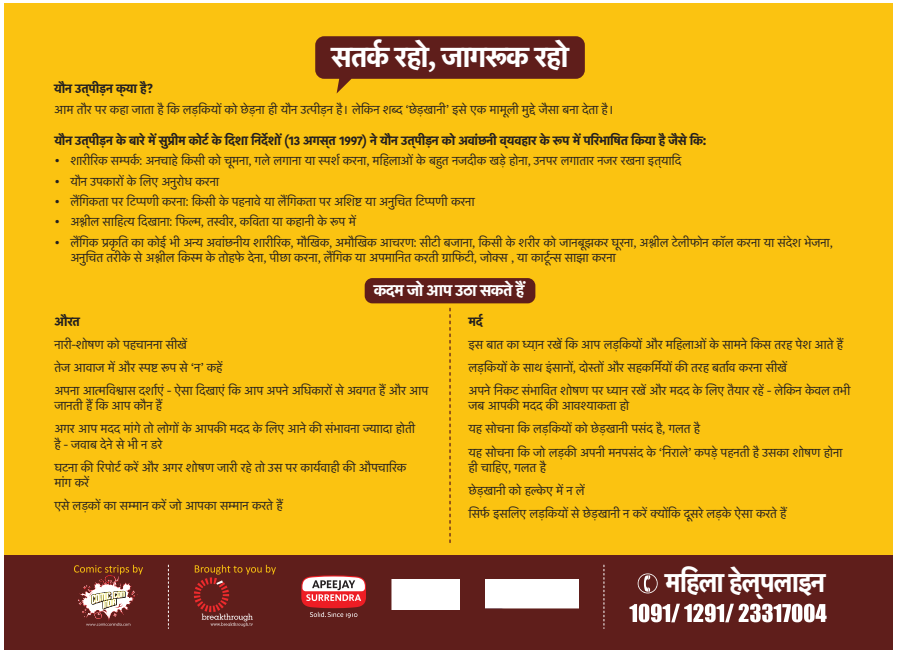

अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें **www.bellbajao.org**

सतर्क रहो, जागरूक रहो

यौन उत्पीड़न क्या है?

आम तौर पर कहा जाता है कि लड़कियों को छेड़ना ही यौन उत्पीड़न है। लेकिन शब्द 'छेड़खानी' इसे एक मामूली मुद्दे जैसा बना देता है।

यौन उत्पीड़न के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों (13 अगस्त 1997) ने यौन उत्पीड़न को अवांछनी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है जैसे कि:

- शारीरिक सम्पर्क: अनचाहे किसी को चूमना, गले लगाना या स्पर्श करना, महिलाओं के बहुत नजदीक खड़े होना, उनपर लगातार नजर रखना इत्यादि
- यौन उपकारों के लिए अनुरोध करना
- लैंगिकता पर टिप्पणी करना: किसी के पहनावे या लैंगिकता पर अशिष्ट या अनुचित टिप्पणी करना
- अश्लीकल साहित्य दिखाना: फिल्मे, तस्वीर, कविता या कहानी के रूप में
- लैंगिक प्रकृति का कोई भी अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक, अमौखिक आचरण: सीटी बजाना, किसी के शरीर को जानबूझकर घूरना, अश्लील टेलीफोन कॉल करना या संदेश भेजना, अनुचित तरीके से अश्लीमल किस्म के तोहफे देना, पीछा करना, लैंगिक या अपमानित करती ग्राफिटी, जोक्से, या कार्टून्स साझा करना

निष्क्रयता के लिए बाधाओं पर काबू पाना

मैं कार्यवाही क्यों नहीं करता हूं

यह मेरी समस्या नहीं है, यह एक निजी मामला है

यह मेरे लिए और परेशानी उत्पन्न करेगा, मैं नहीं चाहता हूं कि पुलिस मुझे परेशान करें

मैं अकेला हूं। मैं आहत किया जाऊंगा या हिंसा का सामना करूंगा

मेरे दोस्त मुझपर हंसेंगे

मुझे कार्यवाही क्यों करनी चाहिए

हिंसा एक सार्वजनिक मामला है। यह मेरे, मेरे दोस्त और/ या मेरे परिवार के साथ हो सकता है

उत्पीड़न को कल पुन: होने से रोकने के लिए यह बेहतर है कि आज ही कोई कदम उठाया जाए

एकबार जब आप अपनी आवाज उठाते हैं और कार्यवाही करते हैं तो दूसरे भी आपके साथ हो जाते हैं। यह सोचना कि लड़कियों को छेड़खानी पसंद है, गलत है

कोई न कोई हमेशा आपके प्रयासों की सराहना करेगा। दूसरों के पालन करने के लिए आप उदाहरण स्थापित करेंगे

Comic strips by | Brought to you by | APEEJAY SURRENDRA Solid. Since 1910

✆ महिला हेलपलाइन
1091/ 1291/ 23317004

BE ALERT, BE AWARE

WHAT IS SEXUAL HARASSMENT?

EVE-TEASING IS WHAT SEXUAL HARASSMENT IS USUALLY CALLED. BUT THE WORD "TEASING" MAKES IT SEEM LIKE A MINOR ISSUE.

THE SUPREME COURT'S GUIDELINES ON SEXUAL HARASSMENT (13 AUGUST, 1997) HAS DEFINED SEXUAL HARASSMENT AS UNWELCOME SEXUALLY DETERMINED BEHAVIOR.

bell bajao

For more information log on to
www.bellbajao.org

OVERCOMING BARRIERS TO INACTION

WHY I DON'T ACT

- It is not my problem, it's a private matter
- It will create more hassles for me, I do not want to be harassed by the police
- I'm alone. I will get beaten up or face violence
- My friends will laugh at me

WHY I SHOULD ACT

- Violence is a public matter. It can happen to me, my friend and/ or my family
- It is better to take a step today towards preventing harassment from happening again tomorrow
- Once you raise your voice & take action, others will join you. Thinking that girls like being harassed is WRONG!
- There will always be someone who will appreciate your effort. You will set an example for others to follow

Comic Strips By | Brought To You By | APEEJAY SURRENDRA Solid. Since 1910

✆ WOMEN'S HELPLINE
1091/ 1291/ 23317004

संलग्नक **5**

छोटे बच्चों में यौन दुर्व्यवहार (माता-पिता और समुदाय के नेताओं के लिए)

बच्चों के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के बारे में मिथक

(बाल दुर्व्यहार के बारे में अध्ययन, भारत 2007; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार पर आधारित)

मिथक 1: लैंगिक रूप से बच्चों का शोषण करने के लिए अजनबी जिम्मेदार हैं

यथार्थ: दुर्व्यवहार करने वालों में ज्यारदातर वे लोग थे जो बच्चे को जानते थे और इसमें अजनबियों की संख्या कम थी।

मिथक 2: यौन दुर्व्यवहार संयोगवश होता है और अजनबियों द्वारा किया जाता है

यथार्थ: यौन दुर्व्यवहार बार बार होता है और यह दुर्व्यवहार करने वाले के जरिए संबंध का पूर्वनियोजित खतरनाक दुरूपयोग है।

मिथक 3: यौन दुर्व्यवहार एकल परिवारों में ज्यादा और संयुक्त परिवारों में नहीं, होने की संभावना ज्यादा है

यथार्थ: यौन दुर्व्यवहार संयुक्त और एकल परिवारों दोनों में प्रचलित पाया गया है।

मिथक 4: यदि दुर्व्यवहार हुआ है तो बच्चे इस बात को कभी भी अपने तक ही सीमित नहीं रख सकते, वे जरूर बताएंगे।

यथार्थ: ज्यायदातर बच्चे मामले के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं।

मिथक 5: यौन दुर्व्यावहार में भावनात्मक दुर्व्यवहार असामान्य है।

यथार्थ: भावनात्मक दुर्व्यवहार यौन दुर्व्यवहार के साथ साथ चलता है।

मिथक 6: बाल यौन दुर्व्यवहार केवल लड़कियों के साथ होता है

यथार्थ: 12 वर्ष की उम्र तक, लड़कियां और लड़के समान रूप से प्रभावित होते हैं। किशोरवय के बाद, लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा प्रभावित होती हैं।

यौन दुर्व्यवहार से छोटे लड़कों की रक्षा करने वाले भारतीय कानून क्या हैं?

1) भारतीय दंड संहिता – लड़के साथ जबरन यौन संबंध की सजा देता है (धारा 377)
2) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 - यौन दुर्व्यवहार का प्रसार और इसके रूपों के विभिन्न प्रकार का विस्तार करता विशद कानून। यह बच्चों के अनुकूल पुलिस और अदालतों के लिए दिशानिर्देशों को भी परिभाषित करता है।

छोटे बच्चे के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार का मामला सामने आने पर आप क्या कर सकते हैं?

1) शारीरिक संरक्षण (सुनिश्चित करें कि बच्चा दुर्व्यवहार करने वाले की संगत में दोबार कभी भी न आए),
2) भावनात्मक समर्थन (आपको बच्चे को यह बताना चाहिए कि जो हुआ है उसमें उसका काई दोष नहीं है और आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना चाहिए), और
3) सही माहौल जहां बच्चा सुरक्षित महसूस करता रहे।

इसके अलावा आप यह भी कर सकते हैं:

1) **कॉल 1098:** यह एक चाइल्डलाइन नम्बर है और मामले की यहां रिपोर्ट कर सकते हैं। यहां मौजूद सलाहकार ऐसे मामलों की शिकायत करने और इनसे निपटने के लिए तैयार रहते हैं।
2) **पुलिस को कॉल करें** और मामले की रिपोर्ट करें
3) अपने क्षेत्र के **एनजीओ को कॉल करें** जो बाल यौन दुर्व्यवहार के मामलों का समाधान करते हैं

छोटे बच्चों में यौन दुर्व्यवहार - मोहन की कहानी

मोहन पांच वर्ष का था जब यौन दुर्व्यवहार के साथ उसका संघर्ष शुरू हुआ था। अधिकांश लोगों का मानना है कि हिंसा से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए 'घर' सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन, मोहन के लिए, हिंसा का बदतर रूप उसके खुद के घर में देखने को मिला। मोहन के चाचा जो उसे गणित और अन्य विषय पढ़ाते थे, उन्हों ने उसके साथ किशोर होने तक कई वर्ष लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार विशेषकर उन दिनों में हुआ जब घर में कोई नहीं होता था। मोहन दुर्व्यवहार के बारे में अपने माता-पिता को कुछ भी नहीं बता सकता था क्यों कि उसे यह नहीं लगता था कि वह उनके बहुत करीब है। वह अपने चाचा से भी डर गया था जिन्होंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने कभी भी घर के भीतर या बाहर किसी को अपने 'राज' के बारे में बताया तो वे उसकी पिटाई करेंगे। इसके अलावा उसे बचपन से ही सदैव 'शक्तिशाली' बनो और 'कमजोर एवं शिकायत करने वाले' न बनों, के बारे में सिखाया गया था क्योंकि वह एक 'पुरुष' बच्चा (लड़का) था।

दुर्व्यवहार तब तक होता रहा, जब एक दिन मोहन के पिता ने काम से जल्दी वापस लौटने पर उन्होंने उसकी आंखों में आंसू देखे। मोहन के चाचा (दुर्व्यवहार करने वाले) से तत्काल घर छोड़ने और फिर कभी भी वापस न आने के लिए कह दिया गया। इसके बाद, मोहन के घर में जीवन सामान्य रूप से चलता रहा।

आज, मोहन गंभीर अवसाद, चिंता और कभी कभी आक्रामकता से भी ग्रस्त है। उसका पढ़ने-लिखने में मन नहीं लगता है और वह स्कूल जाने से बचता है। मोहन असमंजस में है कि दुर्व्यवहार का उस पर क्या प्रभाव पड़ा और प्राय: उसे यह आश्चर्य होता है कि उसके परिवार वालों ने कभी भी मामले की रिपोर्ट पुलिस में क्यों नहीं की। 'दुर्व्यवहार करने वाले' को क्यों सुरक्षित जाने दिया गया? उसके साथ जो हुआ उसका सामना करने की अपेक्षा परिवार का सम्मान और झूठा पौरुष अधिक महत्वपूर्ण बना गया। वह अभी तक इन प्रश्नों को अपने माता-पिता से नहीं पूछ पाया।वह अभी भी इनके उत्तर नहीं जानता है!

इन प्रश्नों की अपने समूह में चर्चा करें और उत्तर प्रस्तुत करें:

1) मोहन को यौन शोषण के बारे में अपने माता-पिता को बताने में क्या रुकावट आ रही थी?
2) यौन शोषण का मोहन पर क्या प्रभाव पड़ा?
3) शोषण के बारे में जानने के बाद मोहन के माता-पिता क्या कदम उठा सकते थे?

संलग्नक **6**

समाज में महिलाओं का योगदान

16 वर्षीय लड़की **तब्बू**, तीन भाइयों और बहनों वाले एक बड़े ग्रामीण परिवार में रहती थी। उसने बाल विवाह के खिलाफ कार्य करने वाले स्थापनीय एनजीओं में एक नुक्कड़ नाटक कलाकार के रूप में शामिल होने का निश्चय किया। उसने बाल विवाह के खिलाफ स्वतंत्र रूप से निडर होकर बोलने वाले मुख्य चरित्र के रूप में प्रदर्शन किया। तब्बू अपने चरित्र में बहुत ही सजीव थी और बाल विवाह की रोकथाम के लिए संभावित समाधान खोजने में दर्शकों को प्रभावी ढंग से आकर्षित करती थी।

उसने इन अनुभवों का अपने खुद के परिवार के साथ भी साझा किया और वह नाटक के इस संदेश को कि कम उम्र में शादी बालिका के शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, व्यक्त करने में भी सक्षम हो गयी। इसके बाद वह अपने माता पिता को अपनी दो बड़ी बहनों की शादी जो पहले से तय थीं, देर से करने, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक कोर्स शुरू करने के अलावा उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए भी समझाने में सक्षम हो गयी।

तब्बू के भीतरी आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ने अपने परिवार के साथ समस्याओं के बारे में बातचीत करने, अपने आस पास के सभी लोगों के बेहतर जीवन के लिए संभावित समाधानों की चर्चा करने में उसकी सहायता की। यह और भी उल्लेखनीय है कि एक युवा लड़की लम्बे समय से चली आ रही प्रथाओं के बारे में बात करने और अपने परिवार की पितृसत्तात्मक मानसिकता में परिवर्तन करने में सझम थी। यह उस तथ्य को भी प्रदर्शित करता है कि भले ही बाल विवाह का उत्तरदायी गरीबी को ठहराया जाता हो लेकिन वास्तव में यह लड़कियों की कम उम्र में शादी करने के परिणामों के बारे में जागरूकता का अभाव है।

अपने समूह में निम्ननलिखित चर्चा करें:

1) कहानी में महिलाओं द्वारा किन चुनौतियों का सामना किया गया? क्या समाज ने उनकी सफलता से पहले उन्हें अहमियत दी?

2) महिलाओं में वे कौन से गुण हैं जिनसे चुनौतियों से उबरने और समाज में अपनी स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने में उन्हें मदद मिली?

Please photocopy and cut the grey line

मैरी कॉम का जन्म मणिपुर के कन्गांठेई गांव में एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। हमेशा स्कूल जाने, अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने और हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स (लेकिन मुक्केबाजी नहीं) सहित सभी प्रकार के खेल खेलने के बीच, मैरी कॉम ने खेतों में काम किया और किसान माता पिता की मदद की। 1998 के एशियाई खेलों में मणिपुर के मुक्केबाज स्वर्ण पदक विजेता डिंग्कोक सिंह से प्रेरित होकर मैरी कॉम एथलेटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल चली गयीं। फटे जर्जर कपड़े पहने, इस किशोरी ने भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच के. कोसाना मेइती से सम्पर्क किया और उनसे एक मौका देने के लिए कहा। कोच याद करते हैं कि वह रात में बहुत देर तक मुक्कों का अभ्यास करती थी, जिस समय तक अन्य खिलाड़ी अपने बिस्तर पर चले जाते थे। मैरी कॉम का लक्ष्य सरल था: अपने परिवार को गरीबी से ऊपर उठाना और अपने नाम के अनुरूप आचरण करना था।

मैरी कॉम पांच बार विश्व मुक्केबाजी की चैम्पियन रहीं, और छह विश्व चैम्पियनशिप में हर एक में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं। वह एकमात्र ऐसी भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक के लिए क्वालीफाई किया और अपने देश के लिए कांस्य पदक जीता। एआईबीए (AIBA) विश्व महिला रैंकिंग फ्लाइवेट वर्ग में भी उन्हें स्थान दिया गया है। इतनी अधिक कामयाबी प्राप्त करने के बाद भी अपनी खुद की सफलता से असंतुष्ट, 30 वर्षीय मैरी - जो विवाहित हैं और जिनके दो जुड़वां बेटे हैं - सुविधा से वंचित युवाओं को 2007 से मुक्केबाजी सिखा रही हैं।

अपने समूह में निम्नलिखित की चर्चा करें:

1) कहानी में महिलाओं द्वारा किन चुनौतियों का सामना किया गया? क्या समाज ने उनकी सफलता से पहले उन्हें अहमियत दी?

2) महिलाओं में वे कौन से गुण हैं जिनसे चुनौतियों से उबरने और समाज में अपनी स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने में उन्हें मदद मिली?

Please photocopy and cut the grey line

शालू के पति की अभी हाल ही में मृत्यु हो गयी, जो अपनी दो बेटियों और एक बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी के साथ उसे अकेला छोड़ गए। शालू ने कई घरों में खानसामा के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन वह पर्याप्त कमाई नहीं कर सकी।

उसने अन्य लाभदायक विकल्प तलाशने का फैसला किया, और पेशेवर ड्राइवर के रूप में कार्य करने में उसकी रूचि हो गयी। कुछ ही महीनों में उसने एक स्थानीय एनजीओ द्वारा चलायी जा रही निःशुल्कक ड्राइविंग कक्षाओं में शामिल होकर पेशेवर ड्राइविंग सीख लिया। उसने ड्राइविंग सीखते समय बावर्ची के रूप में कार्य करके पैसे कमाने के लिए दो गुना कठिन परिश्रम किया। ड्राइविंग के साथ साथ उसे आत्मकरक्षा करने, हिन्दी और अंग्रेजी बोलने, संप्रेषण कौशल, महिलाओं के अधिकार और यौन स्वास्थ्य के बारे में भी सिखाया गया।

आज, शालू के पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस है और वह पास के स्कूल में अच्छे वेतन पर नौकरी करती है। वह स्वतंत्र रूप से नए स्थानों की खोज करने में बहुत सम्मानित और मुक्त महसूस करती है। उसे अपने पेशे पर गर्व है और वह अपने वाहन से अपने परिवार के सदस्य के समान प्यार करती है। उसका पूरा समुदाय उसे विस्मय से देखता है। अब वह अपने बच्चों के उज्जसल भविष्य को सुरक्षित कर सकती है।

अपने समूह में निम्नलिखित की चर्चा करें:

1) कहानी में महिलाओं द्वारा किन चुनौतियों का सामना किया गया? क्या। समाज ने उनकी सफलता से पहले उन्हें अहमियत दी?

2) महिलाओं में वे कौन से गुण हैं जिनसे चुनौतियों से उबरने और समाज में अपनी स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने में उन्हें मदद मिली?

Please photocopy and cut the grey line

संलग्नक **7**

महिलाओं की घटती संख्या और बाल विवाह पर इसका प्रभाव

केस अध्ययन 1: सुजाता की कहानी

उन्नीस वर्षीय सुजाता विवाहित है और अपने स्नेही पति एवं सास-ससुर के साथ रहती है। उसका पति पास की दुकान पर काम करता है और सुजाता स्वयं सभी घरेलू कार्य संभालती है और अपने वृद्ध सास-ससुर का ध्यान रखती है। अपने माता-पिता के साथ-साथ उसका पति परिवार में शादी होने के बाद से ही उसे एक बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर कर रहा है।

कुछ ही समय में सुजाता एक गर्भवती मां बन गयी। अब वह तीन महीने की गर्भवती है और उसके सास-ससुर यह जानने के लिए बहुत आतुर हैं कि बच्चा लड़का है या एक लड़की और इसके लिए अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण कराना चाहते हैं। सुजाता चकित है कि यदि यह पता चला कि शिशु एक लड़की है तो क्या होगा? वह चिंतित है और यह नहीं जानती है कि वह किसके साथ अपनी चिंता साझा कर सकती है - अपने पति या अपने स्वयं के माता-पिता के साथ?

इन प्रश्नों की अपने समूह में चर्चा करें और उत्तर प्रस्तुत करें:

1) आपके अनुसार सुजाता के सास-ससुर लिंग निर्धारण परीक्षण कराना क्यों चाहते हैं?
2) आपको क्या लगता है कि सुजाता को ऐसा करना चाहिए? वह कहां से सहायता/समर्थन प्राप्त कर सकती है?
3) आपको क्या लगता है कि यदि यह पाया गया कि भ्रूण एक लड़की है तो सुजाता के लिए परिणाम क्या होंगे?
4) इस स्थिति में सुजाता के पति को क्या निर्णय लेना चाहिए?

केस अध्ययन 2: पियासो की कहानी

पियासो नामकुम ब्लॉक के हीसापीडी गांव में रहने वाले बुद्धा महतो और जावा देवी की 12 वर्षीय पुत्री है। पियासो अनपढ़ है और कभी भी स्कूल नहीं गयी।

युवा बेटियों की रजस्वला होते ही शादी करना हीसापीडी गांव में एक आम बात है और यह प्रथा इसलिए चल रही है क्यों कि इसका विरोध करने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। हाल ही में, यह गांव हरियाणा (देश में सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारतीय राज्य) के लिए बाल दुल्हनों के स्रोत के रूप में और बाल दुल्हनों की तस्करी की उच्चि दर के लिए बदनाम हो गया। यह सूचना मिली है कि हरियाणा के गावों से अधिक उम्र वाले पुरुष शादी के समारोह की लागत के लिए टोकन राशि का भुगतान करके अपनी पसंद की दुल्हन लेने के लिए गांव पहुंच रहे हैं। ऐसे निराशाजनक परिदृश्य में, 12 वर्षीय पियासो की शादी हरियाणा के एक 38 वर्षीय पुरुष के साथ 50,000 रुपये की टोकन राशि के बदले में नवम्बर 2013 में तय कर दी गयी। अनपढ़ और युवा होने के नाते, पियासो यह पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ थी कि प्रस्तावित विवाह दासता का एक रूप था।

पियासो की शादी की घोषणा गांव में कर दी गयी जो बाल विवाह के खिलाफ कार्य कर रहे एक स्थानीय एनजीओ (NGO) के साथ प्रशिक्षित महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह (SHG) द्वारा भी सुनी गयी। एसएचजी के सदस्यों ने कार्यवाही करने और पियासो की शादी रोकने का फैसला किया। उन्होंने श्री रमेश सिंह मुंडा, पंचायत मुखिया की सहायता से इस घटना की जानकारी पुलिस और स्थानीय मीडिया को दी। शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाल तस्करी के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गयी।

बाल विवाह के नकारात्मक परिणामों के बारे में बढ़ा हुआ ज्ञान और जागरूकता ग्रामीणों (मुखिया, एसएचजी सदस्य, पुलिस आदि) की धारणा बदलने में मददगार थी। बाल विवाह रोकने के लिए गांव में पहली बार कार्यवाही की गयी। इसने गांव और आसपास के इलाकों में इसी तरह की घटनाओं का सामना करते समय कार्यवाही करने हेतु अन्य् समूह के सदस्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया।

इन प्रश्नों की अपने समूह में चर्चा करें और उत्तर प्रस्तुत करें:

1) पियासो जैसी युवा लड़कियों को हरियाणा से पुरुषों को क्यों ब्याही जा रही थी?
2) हितधारकों ने बाल विवाह को रोकने के लिए क्या कदम उठाए?

संलग्नक **8**

सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण

शपथ ग्रहण

(यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, लैंगिक आधारित लिंग चयन, दहेज और महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ दुर्व्यवहार/हिंसा को समाप्त करने के प्रति)

मैं, भारत के नागरिक के रूप में शपथ लेता हूं कि:

मैं केवल कानूनी उम्र के बाद ही शादी करूंगा, जो लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। मैं 18 वर्ष से कम आयु वाली दुल्हन भी नहीं लाऊंगा।

मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति की शादी समारोह में भाग नहीं लूंगा जो विवाह की कानूनी उम्र से छोटा है। मैं अपने रिश्तेदारों और समुदाय को भी ऐसा न करने के लिए राजी और प्रेरित करूंगा।

मैं लड़कियों के अधिकारों का समर्थन और उनका सम्मापन करूंगा तथा लड़कियों की बेहतर शिक्षा, पोषण और संरक्षण हेतु किए गए प्रत्येक कार्य के लिए अपने परिवार का समर्थन करूंगा और यह भी सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें संपत्ति या विरासत का अपना कानूनी हिस्सा भी मिले।

मैं अपनी पत्नी या किसी भी महिला रिश्तेदार से कन्या भ्रूण हत्या करने के लिए नहीं कहूंगा और न ही इसका किसी भी तरह से समर्थन करूंगा।

मैं न तो दहेज लूंगा और न ही दहेज दूंगा।

मैं हमेशा महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करूंगा और कभी भी घर पर, सड़क पर, अपने कार्यस्थल पर या कहीं और उनके साथ अनुचित तरीके से व्यवहार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि एक आदर्श पुरुष होने का मतलब लड़कियों और महिलाओं का आदर एवं सम्मान करना है।

मैं अपने साथियों को भी महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करना और कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार न करना सिखाऊंगा। मैं जानता हूं कि आदर्श पुरुष का मतलब घर में और इसके आसपास लड़कियों और महिलाओं के लिए सम्मान और सुरक्षा का वातावरण तैयार करना है।

मैं सभी बच्चो की हिंसा और बाल दुर्व्यवहार - शारीरिक, भावनात्मक या किसी भी तरीके की लापरवाही से सुरक्षा करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सबकुछ करूंगा।

मैं अपने सहपाठियों के लिए माध्यमिक शिक्षा के पूरा होने को बढ़ावा दूंगा।

संलग्नक **9**

पुरुषों और लड़कों के साथ काम करने के बारे में आगे और अध्ययन करना

- XYऑनलाइन पुरुष और जेंडर मुद्दों के बारे में http://www.xyonline.net पर वेबसाइट है। इसमें पुरुष, जेंडर, पुरुषत्व, और लैंगिकता पर आधारित सुलभ लेखों का एक बड़ा संग्रह यहां: http://www.xyonline.net/articles उपलब्ध है
- यहां: http://www.xyonline.net/category/article-content/violence पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए मदद करने में पुरुषों के कार्य पर आधारित लेखों के उदाहरण देखें
- पुरुष और जेंडर मुद्दों के बारे में सामान्य लेख, यहां: http://www.xyonline.net/category/article-content/activism-politics
- संसाधन (मैनुअल, हैंडबुक्स, प्रशिक्षण गाइड आदि) यहां: http://www.xyonline.net/category/article-content/resources
- पारिवारिक कानून, हिंसा, हिरासत आदि के बारे में 'पिता के अधिकारों' और 'पुरुषों के अधिकारों' का आलोचनात्मक लेख, यहां: http://www.xyonline.net/category/article-content/violence

  और यहां: http://www.xyonline.net/category/article-content/mens-fathers-rights

पुरुष और जेंडर से संबंधित वेबसाइट

- XYऑनलाइन पर यहां: http://www.xyonline.net/links पर पुरुष और पुरुषत्व से संबंधित अन्य वेबसाइटों के लिंक का एक बड़ा संग्रह भी उपलब्ध है
- यहां: http://www.xyonline.net/links#a1 पर लैंगिक समानता का निर्माण करने में पुरुषों को शामिल करने से संबंधित लिंक का संग्रह
- और यहां: http://www.xyonline.net/links#a2 पर पुरुषों के हिंसा विरोधी कार्य से संबंधित लिंक के उदाहरण देखें

पुरुषों की संदर्भ-ग्रंथ सूची: शैक्षणिक छात्रवृत्ति

- पुरुष, पुरुषत्व, सामाजिक लिंग, और लैंगिकता के बारे में शैक्षिक लेखन की व्यापक संदर्भ-ग्रंथ सूची, जिसमें 22,00 से अधिक कार्य सूचीबद्ध है। यह पर http://mensbiblio.xyonline.net/
- उदाहरण के लिए इस पर उपलब्ध हैं; पुरुष और पुरुषत्व के बारे में बेहतर व्याख्या; http://mensbiblio.xyonline.net/bestreading.html#Heading1
- http://mensbiblio.xyonline.net/menfeminism.html#Heading1 पर पुरुष, सामाजिक लिंग और नारीवाद के बारे में लेख और पुस्तकें;
- पुरुष के हिंसा विरोधी कार्य के बारे में शैक्षिक संदर्भ: http://mensbiblio.xyonline.net/violence2.html#Antiviolenceactivism

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

breakthrough
human rights start with you

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 Fax 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

www.inbreakthrough.tv
/BreakthroughIN
@INBreakthrough

unicef
unite for children

73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 Fax 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

www.unicef.in
/unicefindia
@UNICEFIndia